संस्था का ज्ञापन
MEMORANDUM
एवं
&
अंतर्नियमावली
ARTICLES OF ASSOCIATIION

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

जल संसाधन मंत्रालय
Minstry of Water Resources
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

COMPANY NO. 55-2752

FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION CONSEQUENT UPON CHANGE OF NAME

In the Office of the Registrar of Companies, N.C.T. Of Delhi & Haryana
[under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)]

IN THE MATTER OF RASHTRIYA PARIYOJNA NIRMAN NIGAM LIMITED

I hereby certify that RASHTRIYA PARIYOJNA NIRMAN NIGAM LIMITED which was originally incorporated on NINTH day of JANUARY One Thousand Nine Hundred FIFTY SEVEN under the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) under the name THE NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION PVT. LTD. having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under Section 21 read with Government of India, Department of Company Affairs Notification No. G.S.R. 507(E) dated 24-6-1985 by Registrar of Companies, N.C.T. of Delhi & Haryana, New Delhi vide letter No. 21/55-2752/402 dated 10-7-97 the name of the said Company is this day changed to NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

and this Certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given under my hand at NEW DELHI this TWENTY SIXTH day of AUGUST One Thousand Nine Hundred and Ninety SEVEN

कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा

(N. N. JHA)
ADDL.
REGISTRAR OF COMPANIES,
N.C.T. OF DELHI AND HARYANA

कंपनी संख्या 55-2752

नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप
निगमन का नया प्रमाण-पत्र

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
(कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन)

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के मामले में।

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को मूल रूप से "नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) के तहत 9 जनवरी 1957 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अनुसार विधिवत आवश्यक संकल्प पारित करते हुए निगम के रूप में शामिल किया था और तारीख 10-7-97 के पत्र संख्या 21/55-2752/402 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली व हरियाणा, नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की तारीख 24.6.1985 की अधिसूचना संख्या जी एस आर 507 (ई) के साथ पठित धारा 21 के अधीन केन्द्र सरकार ने इसे लिखित अनुमोदन दिया था। अब उक्त कंपनी का नाम बदलकर "नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड" कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 23 (1) के अनुसरण में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

इस प्रमाण-पत्र पर मैंने 26 अगस्त 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

हस्ता.
(एन.एन.झा)
अपर कंपनी-रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
व हरियाणा

FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION
CONSEQUENT ON CHANGE OF NAME

COMPANY NO. 55-2752

In the Office of the Registrar of Companies, Delhi & Haryana

(under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

IN THE MATTER OF NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

I hereby certify that NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, which was originally incorporated on NINETH day of JANUARY One Thousand Nine Hundred FIFTY SEVEN under the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) under the name THE NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION PRIVATE LIMITED, having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under Section 21 read with Government of India, Department of Company Affairs Notification No. G.S.R. 507(E) dated 24-6-1985 by Registrar of Companies, Delhi & Haryana, New Delhi vide letter No. 21/55-2752/10955 dated 24-5-93 the name of the said Company is this day changed to RASHTRIYA PARIYOJNA NIRMAN NIGAM LIMITED and this Certificate is issuded pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given under my hand at NEW DELHI this THIRTY FIRST day of MAY One Thousand Nine Hundred and Ninety THREE.

(V.S.GALGALI)

REGISTRAR OF COMPANIES,
DELHI AND HARYANA

नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप
निगमन का नया प्रमाण-पत्र

कंपनी संख्या 55-2752

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली व हरियाणा
(कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन)

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में।

प्रमाणित किया जाता है कि "नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) के तहत 9 जनवरी, 1957 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अनुसार विधिवत आवश्यक संकल्प पारित करते हुए निगम के रूप में शामिल किया गया था और तारीख 24-5-93 के पत्र संख्या 21/55-2752/10955 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व हरियाणा, नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की तारीख 24-6-1985 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 507 (ई) के साथ पठित धारा 21 के अधीन केन्द्र सरकार ने इसे लिखित अनुमोदन दिया था। अब उक्त कंपनी का नाम बदलकर राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया है और उक्त अधिनियम की धारा 23 (1) के अनुसरण में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

इस प्रमाण-पत्र पर मैंने 31 मई, 1993 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

हस्ता.
(वी.एस. गलगलि)
कंपनी रजिस्ट्रार
दिल्ली व हरियाणा

T. 2752

Certificate of Change of Name

In the office of the REGISTRAR OF COMPANIES

UNDER THE COMPANIES ACT, 1956.

IN THE MATTER OF THE NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION PRIVATE LIMITED

I do hereby certify that pursuant to the provisions of the section 23 of Companies Act, 1956 and under order of the Central Government, conveyed by the Ministry of Finance, C & I Department of Company Law Administration by their No. 11 (32)-CL. VI/59 dated the 21st July, 1959

to the address of : The Managing Director, The National Projects Construction Corporation Private Limited, New Delhi.

the name of : The National Projects Construction Corporation Private Limited.

has this day been changed to : National Projects Construction Corporation Ltd.

and that the said Company has been duly incorporated as a Company under the provision of the said Act.

Dated this : 1st (10th) day of August (Saravan) one thousand nine hundred and fiftynine (1881).

REGISTRAR OF COMPANIES • DELHI •

S/d-
(B. P. ROY)
Registrar of Companies
Delhi

टी. 2752

नाम-परिवर्तन प्रमाण-पत्र

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 23 के उपबंधों के अनुसरण में एवं भारत सरकार के आदेश के तहत प्रवंध-निदेशक, नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को जारी वित्त मंत्रालय, सी एडं आई, कंपनी विधि प्रशासन विभाग के तारीख 21 जुलाई, 1959 के आदेश संख्या 11 (32)-सी एल VI/59 द्वारा "नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड" का नाम परिवर्तित कर आज तारीख 1 अगस्त, 1959 (10 श्रावण, 1881) से "नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड" कर दिया गया है एवं उक्त कंपनी उक्त अधिनियम के उपबंध के अधीन विधिवत, निगमित कंपनी बन गई है।

हस्ता.
(बी.पी.रॉय)
कंपनी रजिस्ट्रार
दिल्ली

Certificate of Incorporation

No. C 2752 of 1956-1957

I hereby certify that **THE NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION PRIVATE LIMITED** is this day incorporated under the Indian Companies Act, (NO. 1 OF 1956) and that the Company is Limited.

Given under my hand at NEW DELHI this NINTH day of JANUARY one thousand nine hundred and FIFTY SEVEN.

REGISTRAR OF COMPANIES • DELHI •

S/d-
(B. P. ROY)
Registrar of Companies
Delhi

निगमन प्रमाण पत्र

1956-1957 की संख्या सी 2752

प्रमाणित किया जाता है कि "नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड" भारतीय कंपनी अधिनियम (1956 की संख्या 1) के अधीन निगमित की गई है और यह कंपनी परिसीमित है।

इस प्रमाण-पत्र पर मैंने 9 जनवरी 1957 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

हस्ता.
(बी.पी.रॉय)
कंपनी रजिस्ट्रार
दिल्ली

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

I. The name of the Company is "National Projects Construction Corporation Limited."

II. The Registered Office of the Corporation will be situated in the Union Territory of Delhi.

III. The objects for which the Corporation is established are :-

(1) To construct, execute, carry out, improve, work, develop, administer, manage or control in India, works and conveniences of all kinds, which expression in this Memorandum includes railways, tramways, ropeways, docks, harbours, piers, wharves, dams, barrages, weirs, reservoirs, embankments, canals, irrigation, power houses, transmission lines, reclamations, improvement, sewage, drainage, sanitary, water, gas, electric light, telephonic and power supply works, and hotels, houses, markets and buildings, private, or public, and all other works or conveniences, whatsoever, and generally to carry on the business of builders and contractors, engineers, architects, surveyors, estimaters and designer in all their respactive branches.

(2) To supply for tender, purchase or otherwise acquire any contracts and concessions for or in relation to the construction, excution, carrying out equipment, improvement, management, administration or control of works and conveniences and to undertake, execute, carry out, dispose of or otherwise turn to account the same.

(3) To enter into any contract or arrangement for the more efficient conduct of the business of the Company or any part thereof and to sub-let contracts from time to time upon such terms and conditions as may be thought expedient .

(4) To carry on in India or elsewhere the business of metal workers, builders and contractors, engineers, merchants, importers and exporters, and to buy, sell and deal in property and articles of all kinds.

(5) To purchase for investment or re-sale and to traffic in land, houses or other property of any tenure and any interest therein, and to create, sell and deal in freehold and leasehold and generally to deal in traffic by way of sale, lease, exchange or otherwise with land house property, and any other property, whether immovable or movable.

(6) To acquire, establish, construct, provide, maintain and administer factories, townships, estates, railways sidings, buildings, yards, walls, water reservoirs, channels pumping installations, purification plants, pipe lines, landing grounds, hangers, garages, storage sheds and accommodation of all description connected with the business of the Corporation .

(7) To carry on the business of bricks, tiles, earthenware, and pottery manufacturers, merchants, and dealers of any such business and such any other businesses as usually are or may be profitably or conveniently carried on in connection with any of the foregoing.

(8) To buy, sell, make, manufacture and deal in bricks, tiles, earthenware, cement, stone and pottery of every description, pipes, china, terracota and ceramic ware of all kinds, and to carry on business of paviours and manufacturers of and dealers in artificial stones whether for building, paving or for other purposes.

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
का
संस्था ज्ञापन

I. कंपनी का नाम "नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड" है।

II. निगम का पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित होगा।

III. जिन उद्देश्यों को लेकर निगम की स्थापना की गई है, वे इस प्रकार हैं:-

1. भारत में सभी प्रकार के कार्यों एवं सुविधाओं से संबंधित निर्माण, निष्पादन, कार्यान्वयन, सुधार, कार्य, विकास, संचालन, प्रबंध अथवा नियंत्रण, जिनकी अभिव्यक्ति इस ज्ञापन में हुई है एवं इसमें रेलवे, ट्रामवेज, रोपवेज, गोदी (docks), बंदरगाह (harbours), पीयर्स, घाट, बाँध (dams), बैराज, वीयर, जलाशय (Reservoirs), तटबंध, नहर, सिंचाई, पावर हाऊस, ट्रांसमिशन लाइनें, भूमि सुधार (reclamations), सुधार, मल जल (Sewage), जल निकास, सफाई, जल, गैस, इलैक्ट्रिक लाईट, टेलीफोन एवं विद्युत आपूर्ति कार्य एवं होटल, गृह, बाजार, भवन, निजी या सार्वजनिक, एवं सभी अन्य कार्य अथवा सुविधाएँ, जो भी हो, एवं सामान्यतः निर्माता के व्यवसाय एवं ठेकेदार, इंजीनियर, वास्तुकार, सर्वेक्षक, आकलक एवं डिजाइनरों की सभी शाखाओं से संबंधित कार्य करना शामिल है।

2. क्रय या अन्य कार्य के लिए निविदा देना, निर्माण कार्य संपादन, निष्पादन, उन्नयन, सुधार, प्रबंध, प्रशासन या निर्माण कार्य या सुविधाओं के नियंत्रण के लिए या उनके संबंध में अर्जन, और संविदा व रियायत करना एवं कार्य को लेना, निष्पादन, कार्य संपादन, निपटान या अन्यथा इससे लाभ उठाना।

3. कंपनी के कार्य या उसके किसी भाग के और अधिक कुशल निष्पादन के लिए कोई संविदा या समझौता करना और समीचीन समझे जाने पर समय-समय पर ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर किसी संविदा को उप-भाड़े पर देना।

4. भारत में या अन्यत्र धातु कारीगरों, विनिर्माताओं, एवं ठेकेदारों, इंजीनियरों, व्यापारियों, आयातकों, एवं निर्यातकों के व्यापार को निष्पादित करना एवं सभी प्रकार के सामानों एवं सम्पत्तियों का क्रय, विक्रय एवं सौदा करना।

5. निवेश या पुनः बिक्री एवं व्यापार के लिए देश में किसी भी अवधि एवं किसी भी महत्व के भूमिखंड, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों को खरीदना एवं पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टे पर बिक्री एवं सौदा करना एवं सामान्यतः भूमि, भवन सम्पत्ति, एवं अन्य सम्पत्ति, चाहे अचल हो या चल, को बिक्री, पट्टे पर देना, विनिमय करना अथवा अन्यथा व्यापार करना।

6. कारखाना, शहर, भूसम्पत्ति, रेलवे साइडिंग भवन, यार्ड, दीवार, जलाशय, चैनल पम्पिंग संस्थापनाओं, शुद्धिकरण संयंत्रों, पाइप लाइनों, हवाई पट्टी, विमानशाला, गैरेज, संग्रहण, शैड कारोबार से संबंधित सभी प्रकार के भवनों को प्राप्त करना, उनकी स्थापना करना, निर्माण करना, उपलब्ध करना, अनुरक्षण करना एवं संचालन करना।

7. ईंट, टाइल, मिट्टी के बर्तन एवं पाटरी के कारोबार, किसी भी ऐसे कारोबार के निर्माता, व्यापारी एवं डीलर एवं इस प्रकार के कोई अन्य कारोबार को निष्पादन करना जिन्हें पूर्वोलिखित में से किसी के साथ सामान्यतः लाभजनक रूप से या आसानी से चलाया जा सके।

8. ईंट, टाइल, मिट्टी के बरतन, सीमेंट, पत्थर एवं प्रत्येक प्रकार की पाटरी, सभी प्रकार के पाइप, चायना, टेराकोटा एवं सिरैमिक बरतन, खरीदना, बेचना, बनाना, निर्माण करना एवं सौदा करना, एवं फर्श बनाने वाले एवं भवन, फर्शीकरण अथवा अन्य कार्यों में प्रयोग में आने वाले कृत्रिम पत्थरों के विनिर्माताओं के कारोबार का निष्पादन करना।

(9) To carry on business as quarry masters and stone merchants, and to buy, sell, get, work, shape, hew, carve polish crush and prepare for market or use stone of all kinds; and to carry on business as makers and manufacturers of and dealers in lime, cement, mortar, concrete and building materials of all kinds.

(10) To carry on all or any of the business of the manufacturers of and dealers and workers in cement, lime, plasters, whitings, casks, sacks, minerals, clay, earth , gravel sand, coke, fuel, artificial stone and builders' requisites of all kinds .

(11) To carry on all or any of the business of timber, plumber, iron and wood merchants, timber growers, importers and exporters, saw mills and dealers in all kinds of goods, plants, furniture and builders' requisites and to purchase, take on lease or otherwise acquire, plant, cut and deal in forest or timber lands and estate of every description.

(12) To carry on the business of electric supply company and to do all things incidental to such business.

(13) To carry on the business of civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, sanitary and water engineers, and plumbers, brass-founders, metal workers, mechinists, smiths and tool makers; and to manufacture, buy, sell, exchange, install, work, alter, improve, manipulate, otherwise deal prepare for market, import or export, let on hire and all kinds of plants and machines, wagons rolling stock, apparatus, tools, utensils substances, material and things necessary or convenient for carrying on any of the business which the Corporation is authorised to carry on or which is usually dealt in by persons engaged in such business.

(14) To carry on the business of carriers by land, sea and air.

(15) To carry on the business of a water- works company in all its branches, and to sink wells and shafts and to acquire, build, provide and maintain dams, barrages, reservoirs, infiltration, galleries, water- works, cisterns, culverts, filterbeds, mains and other pipes and other appliances and to execute and do all other acts and things necessary or convenient for obtaining, storing, selling, delivering, measuring, distributing and dealing in water.

(16) To purchase, take on lease under concession or otherwise lands buildings, works, mines, mineral deposits, mining rights, plantations, forests, and any rights and privileges or interest therein and to explore, work, exercise, develop and to turn into account the same.

(17) To purchase, take on lease or in exchange or under amalgamation licence or consession or otherwise, absolutely or conditionally, solely or jointly with others and make, construct, maintain, work, hire, hold, improve, alter, manage, let, sell, dispose of , exchange, roads, canals, water-courses, ferries, piers, aerodromes, lands, buildings, water-houses, works, factories, mills, workshops, railways sidings, tramways, engineers, machinery and apparatus, water-rights, way leaves, trade marks, patents and designs, privileges, or rights of any description or kind.

(18) To carry on the business of manufacturers and dealers in explosives, ammunition, fireworks and other explosives products and accessories of all kinds and of whatsoever composition and whether for millitary, sporting, mining, industrial, or any other purpose.

(19) To establish, provide, maintain, and conduct or otherwise subsidise research laboratories and experimental workshops for scientific and technical research and experiments to undertake

9. खदान मास्टर एवं पत्थर व्यापारी के रूप में कारोबार करना, एवं सभी प्रकार के पत्थरों को खरीदना, बिक्री करना, प्राप्त करना, कार्य करना, आकार देना, चीरना, नक्काशी करना, पॉलिश करना, पीसना एवं बाजार के लिए तैयार करना या उपयोग करना और चूना, सीमेंट, गारा, कंक्रीट एवं सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री के निर्माता, विनिर्माता एवं व्यापारी के रूप में कारोबार करना।

10. सीमेंट, चूना, प्लास्टर, खड़िया मिट्टी, पीपा, बोरा, खनिज, चिकनी मिट्टी, मिट्टी, बजरी, रेत, कोक, ईंधन, कृत्रिम पत्थर एवं भवन निर्माता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के सामान के विनिर्माता व्यापारी एवं कारीगर के सभी या किसी भी कारोबार को करना।

11. इमारती लकड़ी, नलसाज, लोहा एवं लकड़ी व्यापारी, इमारती लकड़ी उत्पादक, आयातक एवं निर्यातक, आरा मिल एवं सभी प्रकार के सामान, संयंत्र फर्नीचर, एवं भवन निर्माता के लिए आवश्यक सामग्रियों के व्यापारी का कार्य करना एवं सभी प्रकार की जंगली, इमारती लकड़ी वाली जमीन, एवं भूसम्पत्ति को खरीदना, पट्टे पर लेना या अन्य तरीके से अर्जित करना, पेड़ों को लगाना, काटना एवं सौदा करना।

12. विद्युत आपूर्ति कंपनी के कारोबार का निष्पादन करना एवं ऐसे कारोबार के आनुषंगिक सभी कार्य करना।

13. सिविल इंजीनियर, यांत्रिक इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर, सफाई एवं जल इंजीनियर, एवं नलसाज, पीतल फाडण्डर्स, धातु-कर्मी, मशीन-मिस्त्री लोहार एवं औजार निर्माता का कार्य करना, एवं सभी प्रकार के संयंत्र एवं मशीनों, वैगन, चल स्टॉक, उपकरण, औजार, बर्तन, पदार्थ एवं जिस कारोबार के लिए निगम प्राधिकृत है या ऐसे कारोबार में लगे व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः किए जाने वाले सौदे के लिए आवश्यक या सुविधाजनक वस्तुओं का निर्माण करना, खरीदना, बेचना, विनिमय करना, संस्थापित करना, कार्य करना, परिवर्तन करना, सुधार करना, चलाना, बाजार के लिए अन्य सौदा करना, आयात करना या निर्यात करना, किराए पर देना।

14. थल, समुद्री एवं हवाई मार्ग में चलने वाले वाहनों का कारोबार करना।

15. जल-निर्माण कार्य कंपनी की सभी शाखाओं में कारोबार का निष्पादन करना एवं कुआं एवं शाफ्ट खोदना एवं बांध, बैराज, जलाशय, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, जल-निर्माण कार्य, सिस्टर्न्स, पुलिया, फिल्टर बैड्स, मुख्य एवं अन्य पाइप एवं अन्य सहायक उपकरणों को प्राप्त करना, निर्माण करना, उपलब्ध करना एवं अनुसंरक्षण करना एवं जल प्राप्त करने, संग्रहण करने, बिक्री करने, प्रदान करने, मापने, वितरण करने एवं सौदा करने के लिए सभी अन्य कार्यों को करना, जो आवश्यक या सुविधाजनक हों।

16. जमीन, भवन, निर्माण कार्य, खदान, खनिज निक्षेप, खनन अधिकार, बाग, वन, एवं किसी अधिकार एवं विशेषाधिकार या उसमें निहित अधिकार को खरीदना, रियायत या अन्य तरह से पट्टे पर लेना एवं इनकी खोज करना, कार्य करना, प्रयोग में लाना विकास करना एंवं इनसे लाभ उठाना।

17. क्रय करना, पट्टे पर या विनिमय पर या समामेलन लाइसेंस या रियायत के अधीन या अन्य तरह से, पूर्णतया या सशर्त, अकेले या अन्यों के साथ मिलकर लेना एवं सड़क, नहर, नाला, नौघाट, पीयर्स, हवाई अड्डा, जमीन, भवन, जल-गृह, कर्मशाला, कारखाना, मिल, कर्मशाला, रेलवे साइडिंग, ट्रामवेज इंजीनियर्स, मशीनरी एवं उपकरण, जल-अधिकार, किराए का मार्गाधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेंट एवं डिजाइन, विशेषाधिकार या किसी भी प्रकार के अधिकार तैयार करना, निर्माण करना, अनुरक्षण करना, सुधारना, परिवर्तन करना, प्रबंध करना, किराए पर देना, बिक्री करना, निपटाना, विनिमय करना।

18. विस्फोटक, गोलाबारूद, पटाखे और अन्य विस्फोटक उत्पादों और सभी प्रकार की सहायक सामग्री चाहे उसका संघटन कुछ भी हो एवं चाहे वह सैनिक, खेल, बारूदी सुरंगों, औद्योगिक या अन्य प्रयोजन के लिए हो, के विनिर्माताओं और डीलरों का कारोबार निष्पादित करना।

19. वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान एवं प्रयोगों के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला एव प्रायोगिक कार्यशालाओं की स्थापना करना, उपलब्ध करना, अनुरक्षण करना, अन्य तरह से वित्तीय सहायता देना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान एवं प्रयोग एवं सभी

and carry on scientific and technical research and experiments and tests of all kinds, to promote studies and researches both scientific and technical, investigations and inventions by providing, subsidising endaring or assisting laboratories, workshop, libraries, lectines, meeting and conferences and by providing or constituting to the remunerations of scientific or technical purposes or teachers and by providing or constituting to the award of scholarships, prizes, grants to students or otherwise and generally to encourage, promote and reward studies, researches, investigation, experiments, tests, and inventions of any kind that may be considered likely to assist any business which the Corporation is authorised to carry on.

(20) To search for and to purchase or otherwise acquire from any Government, State or Authority, any licences, concessions, grants, decrees, rights, powers and privileges, whatsoever, which may seem to the Corporation capable of being turned to account and in particular any water-rights or concessions either for the purpose of obtaining motive power or otherwise, and to work, develope, carry out exercise and turn to account the same.

(21) To acquire or take over with or without consideration and carry on the business of managers, secretaries, treasurers and agents of managing agents by themselves or in partnership with others of companies or partnership or concerns whose objects may be similar in part or in whole to those of the Corporation.

(22) To purchase or by any other means acquire and project, prolong and renew, whether in India, or elsewhere, any patents, patent rights, brevets invention, licences, protections and concessions which may appear likely to be advantageous or useful to the Corporation, and to use and turn to account, and to manufacture under or grant licences or privileges in respect of the same, and to spend money in experimenting upon and testing and in improving, seeking to improve any patent inventions or rights which the Corporation may acquire or propose to acquire.

(23) To acquire or hold shares in any undertaking or Company, to acquire the right to manufacture and to put up telegraphs, telephones, phonograms, radio transmitting or receiving stations or sets, dynamoes, accumulators and all apparatus in connection with the generation, accumulation, distribution supply and employment of electricity or any power that can be used as a substitute therefor including all cables, wires or appliances for connecting apparatus at a distance with other apparatus and including the formation of exchange of centres.

(24) To construct, maintain, lay down, carry out, work, sell, let on hire, and deal in telephone and all kinds of works, machinery, apparatus, conveniences, and things capable of being used in connection with any of the objects of the Corporation and in particular any cables, wire, lines, stations, exchanges, reservoirs, accumulators, lamps, motor and engines.

(25) To be interested in, promote and undertake, the formation, establishment and maintenance of such institutions, business or companies (industrial, engineering, agricultural, trading, manufacturing, or other) as may be considered to be conducive to the profit and interest of the Corporation and to carry on any other business (industrial, engineering, agricultural, trading, manufacturing, or other) which may seem to the Corporation capable of being conveniently carried on in connection with any of these objects or otherwise calculated directly or indirectly, to render any of the Corporation's property or rights for the time being profitable; and also to acquire, promote, aid, foster, subsidise or acquire interests in any industry or undertaking in any country or countries, whatsoever.

प्रकार के परीक्षण प्रारंभ करना एवं जारी रखना, प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, व्याख्यान, बैठक एवं सम्मेलन के लिए सहायता प्रदान करने, वित्तीय सहायता देना, धन प्रदान करने या सहायता के द्वारा एवं वैज्ञानिक या तकनीकी प्रयोजन से या शिक्षकों के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने या इसके प्रबंध के द्वारा एवं छात्रों या अन्य को छात्रवृत्ति, पुरस्कार, अनुदान-प्रदान करने या प्रबंध के द्वारा अध्ययन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान दोनों, अन्वेषण एवं आविष्कार को उन्नत करना, एवं किसी भी प्रकार के अध्ययन, अनुसंधान, प्रयोग, परीक्षण एवं आविष्कार को प्रोत्साहन देना, उन्नत करना एवं पुरस्कृत करना जो निगम के लिए प्राधिकृत कारोबार में सहायता पहुँचा सकते हैं।

20. किसी सरकार, राज्य या प्राधिकरण से ऐसा कोइ लाइसेंस, रियायत, अनुदान, बिक्री अधिकार, शक्ति एवं विशेषाधिकार, जो भी हो, जिससे निगम लाभ लेने की स्थिति में हो, एवं विशेषरूप से कोई जल-अधिकार या रियायत जो या तो प्रेरक शक्ति प्राप्त करने के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए हो, का पता करना, क्रय करना या अन्य तरह से अर्जित करना, एवं कार्य करना, विकास करना, जारी रखना, निष्पादित करना एवं इनसे लाभ उठाना।

21. प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं स्वयं या अन्य कंपनियों के साथ भागीदारी में या भागीदारी/संस्था के एजेंट या प्रबंध एजेंट के कारोबार को प्रतिफल सहित या बिना प्रतिफल के प्राप्त करना या अधिकार में लेना, एवं जारी रखना जिनका उद्देश्य निगम के उद्देश्यों से आंशिक रूप से या पूर्णतया समान हो।

22. भारत में या अन्यत्र कोई पेटेंट, पेटेंट अधिकार, अधिकार पत्र, आविष्कार, लाइसेंस, संरक्षण एवं रियायत को खरीदना या किसी अन्य तरह से प्राप्त करना एवं रक्षा करना, जारी रखना एवं नवीकरण करना, एवं उपयोग करना एवं लाभ उठाना, जो निगम के लिए महत्वपूर्ण या उपयोगी प्रतीत हो एवं स्वीकृत लाइसेंस या विशेषाधिकार के अधीन इनका निर्माण करना एवं प्रयोग एवं परीक्षण के लिए एवं सुधार-योग्य किसी पेटेंट, आविष्कार या अधिकार, जिन्हें निगम प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करना चाहता है, में सुधार लाने के लिए धन खर्च करना।

23. किसी उपक्रम या कंपनी के शेयर प्राप्त करना या शेयर धारक बनाना, टेलीग्राफ, टेलीफोन, फोनोग्राम, रेडियो प्रेषण या अभिग्राही केन्द्र या सेट, डायनमो, संचयक एवं उत्पादन, संचयन, वितरण, आपूर्ति एवं विद्युत या अन्य शक्ति जिसे विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सके, से संबंधित सभी उपकरण, जिसमें दूरस्थ स्थानों पर रखे उपकरणों को जोड़ने वाले केबल, तार या सहायक उपकरण शामिल हैं एवं मिलान-केन्द्र का निर्माण शामिल है, को उपयोग करने का अधिकार या निर्माण करने का अधिकार प्राप्त करना एवं निर्माण करना।

24. टेलीफोन एवं सभी प्रकार के कार्य, मशीनरी उपकरण, सुविधाएँ एवं ऐसी वस्तुएँ जो निगम के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लायक हों, एवं विशेष रूप से कोई केबल, वायर लाइंस, केन्द्र, एक्सचेंज, जलाशय, संचयक, बत्ती, मोटर एवं इंजन का निर्माण करना, अनुरक्षण करना, प्रदान करना, कार्य करना, बिक्री करना, किराए पर देना एवं सौदा करना।

25. किसी संगठन, संस्था से सम्बद्ध होना, उसे उन्नत करना, उसे प्रारंभ करना एवं निगम के लिए लाभकारी एवं हितकारी ऐसे संस्थान, कारोबार या कंपनियों (औद्योगिक, इंजीनियरी, कृषि, व्यवसाय, निर्माण या अन्य) का अनुरक्षण करना एवं अन्य कोई कारोबार (औद्योगिक, इंजीनियरी, कृषि, व्यवसाय, निर्माण या अन्य) जिसे निगम इनमें से किसी भी लक्ष्य के संबंध में आसानी से चला सके या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त हो, को चलाना, निगम की संपत्ति या अधिकार, जो लाभकारी हो, को अस्थायी रूप से देना, एवं किसी भी देश या देशों में, जो भी हो, किसी उद्योग या उपक्रम को प्राप्त करना, उन्नत करना, सहायता देना, विकसित करना, वित्तीय सहायता देना, या अधिकार प्राप्त करना।

(26) To create any Depreciation Fund, Reserve Fund, Sinking Fund, Insurance Fund, or any other special fund, whether for depreciation, or for repairing, improving, extending, or maintaining any of the property of the Corporation, or for other purposes conducive to the interests of the Corporation.

(27) To provide for the welfare of employees of the Corporation and the wives, widows and families or the dependents or connections of such persons, by building or contributing to the building of houses, dwelling or chawls, or by grants of money, pensions, allowances, bonus, or other payments; or by creating and from time to time subscribing or contributing to Provident Fund and other associations, institutions, funds or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendance and other assistance as the Corporation may think fit ; and to subscribe or otherwise to assist or to guarantee money to charitable, benevolent, religious, scientific, national or other institutions or objects or purposes.

(28) To remunerate any person, firm or Company for services rendered or to be rendered in placing or assisting to place or guaranteeing the placing of any of the shares in the Corporation's capital or any debenture or debenture stock or other securities of the Corporation or in or about the formation or promotion of the Corporation or the conduct of its business.

(29) To acquire and undertake the whole or any part of the business, property and liabilities of any person, or company carrying on any business which the Corporation is authorised to carry on, or possessed of property suitable for the purposes of this Corporation .

(30) To let out on hire all or any of the property of the Company whether immovable or movable including all and every description of apparatus or appliances.

(31) To apply for, purchase or otherwise acquire, any patents brevets invention, licences, concessions and the like, conferring any exclusive or non-exclusive or limited right to use, or any secret or other information as to any invention which may seem capable of being used for any of the purposes of the Corporation, or the acquisition of which may seem calculated directly or indirectly to benefit the Corporation, and to use, exercise, develop, or grant licences in respect of, so otherwise turn to account the property, rights, or information so acquired.

(32) To enter into partnership or into any arrangement for sharing or pooling of profits, amalgamation, union of interests, cooperation , joint venture, reciprocal concession, or otherwise, or amalgamate with any person or company carrying on or engaged in, or about to carry on or engage in, any business or transaction which this Corporation is authorised to carry on or engage in any business undertaking or transection which may seem capable of being carried on or conducted so as directly or indirectly to benefit this Corporation.

(33) To guarantee the payment of money, unsecured or secured, to guarantee or to become securities for the performance of any contracts or obligations.

(34) To take, or otherwise acquire, and hold shares in any other company having objects altogether or in part similar to those of this Corporation and to underwrite solely or jointly with another or others, shares in any such Company. To take or otherwise acquire shares in any other Company if the acquisition of such shares seems likely to promote further or benefit the business or interests of this Corporation.

26. निगम की किसी संपत्ति के या तो मूल्यह्रास के लिए, या मरम्मत, सुधार, विस्तार या अनुरक्षण के लिए, या निगम के लिए हितकारी किसी अन्य प्रयोजन के लिए मूल्यह्रास निधि, रक्षित निधि, निक्षेप निधि, बीमा निधि, या अन्य किसी विशेष निधि का सृजन करना।

27. भवन, आवास या चाल के निर्माण या निर्माण में अंशदान के द्वारा, या धन, पेंशन, भत्ता, बोनस, या अन्य भुगतान के द्वारा, या भविष्य निधि एवं अन्य संगठन, संस्थान, निधि, न्यास की स्थापना एवं इनके लिए समय-समय पर अभिदान या अंशदान के द्वारा, एवं शिक्षासंस्थान, मनोरंजन केन्द्र, अस्पताल एवं दवाखाना, चिकित्सा एवं अन्य परिचर्या एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवा कर या अभिदान या अंशदान के द्वारा, निगम जो उपयुक्त समझे, निगम के कर्मचारी, उनकी पत्नी, विधवा एवं परिवार या आश्रितों या संबंधियों के लिए कल्याण कार्य करना, धर्मार्थ, हितकारी, धार्मिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय या अन्य संस्थान या उद्देश्य या प्रयोजन के लिए सहायता या गारंटी धन के लिए अभिदान या अन्य सहायता करना।

28. निगम की पूँजी या कोई डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या निगम की अन्य प्रतिभूति में शेयर रखने में सहायता करने या किसी भी शेयर रखने की गारंटी देने या निगम के निर्माण या उन्नयन में या इस संबंध में या इसके कारोबार के संचालन में की गई सेवा या की जाने वाली सेवा के लिए किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान या कंपनी को पारिश्रमिक देना।

29. व्यवसाय चलाने वाले किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के व्यवसाय, संपत्ति और दायित्व के संपूर्ण अंश अथवा किसी अंश को अर्जित करना अथवा नियंत्रण में करना जिसके लिए निगम प्राधिकृत है, अथवा निगम के प्रयोजन के लिए उपयुक्त संपत्ति का कब्जा करना।

30. सभी और प्रत्येक प्रकार के उपकरण अथवा यंत्रों सहित कंपनी की सभी अथवा किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति को किराए पर देना।

31. किसी आविष्कार के पेटेंट, ब्रिवेट, लाइसेंस, रियायत आदि जो उपयोग के लिए विशिष्ट अथवा सामान्य अथवा सीमित अधिकार प्रदान करते हैं अथवा किसी आविष्कार संबंधी गोपनीय या अन्य जानकारी जो निगम के किसी प्रयोजन के लिए उपयोगी हो, अथवा जिसके अर्जन से निगम को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने की संभावना हो , के लिए आवेदन करना, क्रय करना, अथवा अन्य तरीके से अर्जित करना, तथा इस प्रकार अर्जित की जाने वाली संपत्ति, अधिकार अथवा सूचना को लाभकर बनाने के लिए उपयोग करना, प्रयोग करना, विकसित करना अथवा लाइसेंस प्रदान करना।

32. लाभों की भागीदारी अथवा एकत्रीकरण, समामेलन, हित, सहयोग, संयुक्त उद्यम, पारस्परिक रियायत, अथवा अन्य माध्यम से साझेदारी अथवा किसी व्यवस्था को अपनाना, अथवा किसी व्यवसाय अथवा लेन-देन को संचालित करने वाले अथवा उससे सम्बद्ध किसी व्यक्ति या कंपनी में निगम को आमेलित करना जिसके लिए निगम प्राधिकृत है तथा जिससे निगम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचता है।

33. अरक्षित अथवा रक्षित धन-राशि के भुगतान की गारंटी देना अथवा किसी संविदा या दायित्व के निष्पादन के लिए प्रतिभू बनना।

34. पूर्ण रूप से निगम के अनुरूप लक्ष्य वाली अथवा आंशिक रूप से निगम के अनुरूप लक्ष्य वाली किसी अन्य कंपनी के शेयर प्राप्त करना, अथवा अन्य तरीके से अर्जित करना, और धारण करना तथा किसी ऐसी कंपनी में एकल रूप से अथवा किसी अन्य के साथ अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से शेयरों की हामीदारी लेना। किसी अन्य कंपनी के शेयर प्राप्त करना अथवा अन्य तरीके से अर्जित करना बशर्ते ऐसे शेयरों के अर्जन से निगम के व्यवसाय अथवा अधिकार में बढ़ोत्तरी अथवा लाभ पहुँचने की संभावना हो।

(35) To enter into any arrangements with the Government of India or any local or State Government in India or with the Government of any other State, country or Dominion or with any authorities local or otherwise or with any Rulers, Chiefs, Landlords or other persons that may seem conducive to the Corporations' objects or any of them and to obtain from them any rights, powers and privileges, licences, grants and concessions which the Corporation may think it desirable to obtain and to carry out, exercises and comply with any such arrangements, rights, privileges and concessions.

(36) To promote and undertake the formation of any institution or company for the purpose of acquiring all or any of the property, rights and liabilities of this Corporation, or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Corporation or from any subsidiary Company or Companies.

(37) To carry on any business which may seem to the Corporation capable of being conveniently carried on in connection with any of the Corporation's objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the Corporation's property or rights

(38) To invest and deal with the moneys of the Corporation in any securities, shares, investments, properties movable and immovable and in such manner as may from time to time be determined and to sell, transfer or deal in, with the same.

(39) To lend money or mortgage of immovable property or on hypothecation or pledge of movable property or without security to such persons and on such terms as may seem expedient, and in particular to customers of and persons having dealings with the Corporation.

(40) To make, draw, accept, endorse, execute, and issue cheques, promissory notes, bills of exchange, bills of lading, debentures and other negotiable or transferable instruments.

(41) To borrow or raise or to receive money on deposit at interest or otherwise in such manner as the Corporation may think fit, and in particular by the issue of debentures or debenture stock, perpetual or otherwise including debentures or debenture stock, convertible into shares of this Corporation or perpetual annuities; and in security of any such money so borrowed, raised or received, to mortgage, pledge or charge the whole or any part of the property, assets or revenues of the Corporation, present or future, including its uncalled capital, by assignment or otherwise or to transfer or convey the same absolutely or in trust and to purchase, redeem or pay off any such securities.

(42) To distribute any of the property of the Company among the members in specie or kind but so that no distribution which amounts to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law.

(43) To undertake and execute any trusts, the undertaking whereof may seem desirable, and either gratuitously or otherwise.

(44) To sell, let, exchange or otherwise deal with the undertakings of the Corporation or any part thereof for such consideration as the Corporation may think fit, and in particular for shares, debentures, or securities, of any other Company having objects altogether or in part similar to those of this Corporation and if thought fit to distribute the same among the share-holders of the Corporation.

35. भारत सरकार अथवा भारत में किसी स्थानीय अथवा राज्य सरकार के साथ अथवा किसी अन्य राष्ट्र देश अथवा रियासत की सरकार के साथ अथवा किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरणों के साथ अथवा किसी शासक, राष्ट्राध्यक्ष, जमींदार अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ समझौता करना जो निगम के लक्ष्यों अथवा इनमें से किसी लक्ष्य के लिए लाभप्रद हो तथा उनसे किसी अधिकार, शक्ति और विशेषाधिकार, लाइसेंस, अनुदान और रियायत प्राप्त करना जिसे निगम वांछनीय समझे तथा किसी ऐसे समझौते, अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों का पालन करना, प्रयोग करना और अनुपालन करना।

36. इस निगम की सभी या किसी सम्पत्ति, अधिकार और दायित्व के अर्जन के लिए, अथवा ऐसे अन्य किसी प्रयोजन के लिए जिससे निगम को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचता हो, किसी संस्थान अथवा कंपनी का सृजन करना या कोई सहायक कंपनी या कंपनियाँ बनाना।

37. ऐसे किसी व्यवसाय को चलाना जो निगम को अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आसानी से चलाना उचित लगे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की किसी संपत्ति अथवा अधिकारों के मूल्य में वृद्धि करने अथवा उसे लाभ पहुँचाने में सक्षम हो।

38. निगम के धन को इस प्रकार किसी प्रतिभूति, शेयर, निवेश, चल और अचल संपत्ति में निवेश करना ताकि समय-समय पर उसका निर्धारण किया जा सके, तथा उसकी बिक्री अंतरण अथवा सौदा करना।

39. ऐसे व्यक्तियों विशेष रूप से निगम के साथ व्यापार करने वाले क्रेताओं और व्यक्तियों को अचल संपत्ति बंधक रख कर अथवा चल संपत्ति दृष्टिबंधक रख कर अथवा गिरवी रखकर अथवा बिना जमानत के तथा ऐसी शर्तों पर धन उधार देना जो समीचीन प्रतीत हो।

40. चेक, वचन-पत्र, विनिमय पत्र, लदान पत्र, ऋण पत्र तथा अन्य परक्राम्य अथवा अंतरणीय पत्र तैयार करना, आहरित करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना निष्पादित करना, तथा जारी करना।

41. ब्याज पर रखी जमाराशि अथवा अन्य जमाराशि से इस प्रकार से विशेष रूप से सतत् अथवा अन्य डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टाक को जारी करके धन उधार लेना अथवा एकत्रित करना अथवा प्राप्त करना जिसे निगम ठीक समझे जिसमें निगम के शेयरों अथवा सतत वार्षिकी में परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टाक शामिल है, तथा इस प्रकार उधार ली गई, एकत्रित की गई अथवा प्राप्त की गई धनराशि की जमानत के लिए निगम की वर्तमान अथवा भविष्य की सम्पत्ति, परिसम्पत्ति अथवा राजस्व के संपूर्ण अंश अथवा किसी अंश का हस्तांतरण (Assignment) अथवा अन्य माध्यम से बंधक रखना, गिरवी रखना अथवा प्रभारित करना जिसमें निगम की अनमांगी पूँजी शामिल है अथवा इसका पूर्ण रूप से न्यास में अंतरण करना अथवा हस्तांतरण करना तथा ऐसी किसी भी प्रतिभूति को खरीदना, छुड़ाना अथवा चुकता करना।

42. कंपनी की किसी संपत्ति को सदस्यों के बीच नकद के रूप में अथवा वस्तु के रूप में इस तरह वितरित करना ताकि इससे विधि द्वारा अपेक्षित अस्थायी मंजूरी (यदि कोई हो) के मामले को छोड़कर कंपनी की पूँजी में कोई कमी न होने पाए।

43. ऐसे किसी न्यास की जिम्मेदारी लेना और उसे गठित करना जो वांछनीय लगे, तथा जो या तो ऐच्छिक हो अथवा अन्य किसी प्रकार की हो।

44. निगम के उपक्रमों अथवा उसके किसी अंश को बेचना, किराए पर देना, विनिमय करना जैसा कि निगम उचित समझे, और विशेष रूप से इसमें अन्य किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर अथवा प्रतिभूति भी शामिल है, जिनके लक्ष्य पूर्णरूप से या आंशिक रूप से निगम के लक्ष्यों के समान हो तथा यदि उचित प्रतीत हो तो इन्हें निगम के शेयरधारकों के मध्य वितरित करना।

(45) To pay for any properties, rights or privileges acquired by the Corporation either in shares of the Corporation or partly in shares and partly in cash.

(46) To procure the Corporation to be registered or recognised in any foreign country or place.

(47) To sell, improve, manage, develop, exchange, lease, mortgage, enfranchise, dispose of, turn to account or otherwise deal with, all or any part of the property and rights of the Corporation.

(48) To do all or any of the above things and all such other things as are incidental or may be thought conducive to the attainment of the above objects or any of them, and as principals, agents, contractors, trustees or otherwise, and either alone or in conjunction with others. It is hereby declared that the word "Company" in this memorandum when applied otherwise than to this Corporation shall be deemed to include any authority, partnership or other body of persons, whether incorporated or not incorporated, and whether domiciled in India or elsewhere.

The objects set forth in any sub-clause of this clause shall not be in anyway limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other sub-clause or the name of the Corporation. None of such sub-clauses or objects therein specified or the powers thereby conferred shall be deemed subsidiary or auxiliary merely to the objects mentioned in the first sub-clause of this clause but the Corporation shall have full power to exercise all or any of the powers conferred by any part of this clause in any part of the world and notwithstanding that the business, undertaking, property or acts proposed to be transacted, acquired, dealt with or performed, do not fall within the objects of the first sub-clause of this clause.

IV. The liability of the members is limited.

V. The authorised share capital of the Company is Rupees 700 crores[1] divided into 70,00,000 shares of Rs 1,000 each with rights, privileges and conditions attaching thereto as may be provided by the Articles of the Corporation for the time being, with power to increase and reduce the capital of the Corporation and to divide the shares in the capital for the time being into several classes and to issue shares of any other value or denomination and to attach thereto such preferential, deferred, guaranteed, qualified or special rights, privilges or conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Corporation, and to vary, modify amalgamate or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association of the Corporation.

We, the several persons whose names are subscribed, are desirous of being formed into a Company, in accordance with this Memorandum of Association, and we respectively agree to take number of shares in the Capital of the Company set opposite to our respective names.

---

1. Special Resolution passed on 05.02.2009

45. निगम द्वारा अर्जित किसी संपत्ति, अधिकार अथवा विशेषाधिकारों के लिए या तो निगम के शेयरों में अथवा आंशिक रूप से नकद रूप में भुगतान करना।

46. किसी विदेशी राष्ट्र अथवा स्थान में निगम को पंजीकृत करवाना अथवा मान्यता दिलवाना।

47. निगम की संपत्ति तथा अधिकारों के सभी अथवा किसी अंश को बेचना, सुधार करना, प्रबंध करना, विकास करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना, बंधक रखना, मुक्त करना, निपटान करना, लाभकारी बनाना अथवा अन्य तरह से सौदा करना।

48. प्रमुख एजेंट, संविदाकार, न्यासी अथवा अन्य किसी रूप में अकेले अथवा अन्य के साथ मिलकर उपर्युक्त सभी कार्य अथवा किसी कार्य को करना तथा ऐसे सभी कार्यों को करना जो उपर्युक्त लक्ष्यों अथवा इनमें से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक हो अथवा उपयोगी प्रतीत हों। एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस ज्ञापन में उल्लिखित "कंपनी" शब्द जब निगम के अलावा अन्य किसी संदर्भ में प्रयुक्त हो तो उसका आशय किसी प्राधिकारी, साझेदारी अथवा व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, भले ही वह निगमित हो अथवा गैर-निगमित, तथा भारत में स्थित हो या अन्यत्र।

इस खंड के किसी उपखंड में उल्लिखित लक्ष्यों को किसी अन्य उपखंड की शर्तों अथवा निगम के नाम के संदर्भ में अथवा निष्कर्ष के आधार पर किसी भी स्थिति में सीमित अथवा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ऐसे उप-खंडों अथवा उनमें विनिर्दिष्ट लक्ष्यों अथवा उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को केवल इस खंड के प्रथम उप-खंड में उल्लिखित लक्ष्यों के लिए गौण अथवा सहायक नहीं समझा जाएगा बल्कि निगम को इस खंड के किसी भाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को विश्व के किसी भाग में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग करने का अधिकार होगा भले ही व्यवसाय, उपक्रम, संपत्ति, अथवा कार्य जिसका संचालन अर्जन, सौदा अथवा निष्पादन करने का प्रस्ताव है वह इस खंड के प्रथम उपखंड के लक्ष्यों के अंतर्गत न आता हो।

IV सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित है।

V कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 700 करोड़ रुपए[1] है जो एक हजार रुपए के 70,00,000 शेयरों में विभाजित है। फिलहाल इन पर निगम के अंतर्नियम में उपबंधित अधिकार, विशेषाधिकार और शर्तें लागू होती हैं। निगम के पास निगम की पूँजी को बढ़ाने अथवा घटाने तथा फिलहाल पूँजीगत शेयरों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने तथा किसी अन्य मूल्य अथवा मूल्य वर्ग के शेयरों को जारी करने तथा उसके साथ ऐसे अधिमान्य, आस्थगित, गारंटीकृत, अर्हता - प्राप्त अथवा विशेष अधिकारों, विशेषाधिकार अथवा शर्तों को संलग्न करने जैसा कि निगम की संस्था अंतर्नियमावली द्वारा निर्धारित किया जाए अथवा उसके अनुसार हो, तथा किन्हीं ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों अथवा शर्तों को इस प्रकार परिवर्तित करने, संशोधित करने, समामेलित करने अथवा रद्द करने का अधिकार प्राप्त है जैसा कि निगम की संस्था अंतर्नियमावली द्वारा अस्थायी रूप से उपलब्ध की जाए।

हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे अंकित हैं, संस्था के इस ज्ञापन-पत्र के अनुसरण में एक कंपनी बनाने के इच्छुक हैं और हम कंपनी की पूँजी में क्रमशः अपने नामों के सामने दर्शाई गई संख्या में शेयर लेने के लिए सहमत हैं।

---

1. तारीख 05.02.2009 को पारित विशेष संकल्प के अनुसार।

	Name of Subscriber	Address, Description and occupation, if any	No. of shares	Signature of Subscribers	Signature of witnesses and their addresses, description and occupation
1.	President of India	[T. Sivasankar], Secretary Ministry of Irrigation and Power, New Delhi, for and on behalf of the President of India.	1	-	-
2.	Kanwar Sain	Chairman, Central Water and Power Commission, New Delhi.	1	-	-
3	S. Vankataraman	Deputy Secretary, Ministery of Irrigation and Power.	1	-	-

Dated this.....day of January, 1957

	अभिदाता का नाम	पता, विवरण तथा व्यवसाय, यदि कोई हो	लिए गए शेयरों की संख्या	अभिदाता के हस्ता.	गवाहों के हस्ता., उनके पते, विवरण तथा व्यवसाय
1.	भारत के राष्ट्रपति	(टी. शिवशंकर), सचिव, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से)।	1	-	-
2.	कंवर सैन	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, नई दिल्ली।	1	-	-
3.	एस. वेंकटरमन	उपसचिव, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय।	1	-	-

तारीख ..... जनवरी 1957

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
की
संस्था - अन्तर्नियमावली

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Definitions :-1. In these Articles unless there be something in the subject or context inconsistent therewith :-

"The Act" or "The said Act" means the Companies Act 1 of 1956.

"Board" means a meeting of the Directors duly called and constituted or, as the case may be, the Directors assembled at a Board.

"Capital" means the capital for the time being raised or authorised to be raised for the purposes of the Company.

"The Company" means the above named Corporation.

"The Directors" mean the Directors for the time being of the Company.

"Dividend" includes bonus.

"Executor" or "Administrator" means a person who has obtained probate or letters of Administration, as the case may be, from some competent court.

"Government" includes Central and State Governments.

"Month" means a calendar month.

"The Office" means the Registered Office for the time being of the Company.

"Persons" include corporations and firms, as well as individuals.

"The President" means the President of India.

"The Register" means the register of members to be kept pursuant to the Act.

"Regulations of the Company" mean the regulations for the time being in force for the management of the Company.

"Seal" means the common seal for the time being of the Company.

"Shares" mean the shares or stock into which the capital is divided and the interest corresponding with such shares or stock.

"In writing" and "written" include printing, lithography and other modes representing or reproducing words in a visible form.

Words importing the masculine gender also include the feminine gender.

Expressions in the Act to bear the same meaning in Articles:- Subject as aforesaid, any words or expressions defined in the Act shall, except where the subject or context forbids, bear the same meaning in these Articles.

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
(राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड)
की
संस्था - अंतर्नियमावली

परिभाषा:- 1. इन अंतर्नियमों में जब तक विषय-वस्तु या संदर्भ में कुछ असंगत न हो :-

''अधिनियम'' या ''उक्त अधिनियम'' का आशय कंपनी अधिनियम, 1956 से है।

''बोर्ड'' का आशय विधिवत बुलाई गई निदेशकों की बैठक अथवा विधिवत गठित निदेशक बोर्ड या यथास्थिति बोर्ड की बैठक में एकत्रित निदेशकों से है।

''पूँजी'' का आशय कंपनी के प्रयोजनों से तत्समय एकत्र की गई या एकत्र किए जाने के लिए अधिकृत पूँजी से है।

''कंपनी'' का आशय उक्त नाम वाले निगम से है।

''निदेशकों'' का आशय तत्समय कंपनी निदेशकों से है।

'' लाभांश '' में बोनस शामिल है।

''निष्पादक'' अथवा '' प्रशासक '' का आशय उस व्यक्ति से है, जिसने किसी सक्षम न्यायालय से यथास्थिति प्रोबेट अथवा प्रशासन - पत्र प्राप्त किया है।

''सरकार'' में केन्द्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।

''महीने'' का आशय कैलेंडर महीने से है।

''कार्यालय'' का आशय कंपनी के तत्समय पंजीकृत कार्यालय से है।

''व्यक्तियों'' में निगम और फर्म के साथ-साथ व्यक्ति भी शामिल हैं।

''राष्ट्रपति'' का आशय भारत के राष्ट्रपति से है।

''रजिस्टर'' का आशय अधिनियम के अनुसार रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर से है।

''कंपनी के विनियमों'' का आशय तत्समय कंपनी के प्रबंध के लिए लागू विनियमों से है।

''मोहर'' का आशय तत्समय कंपनी की सामान्य मोहर से है।

''शेयरों'' का आशय, उन शेयरों या स्टॉक से है, जिनमें पूँजी विभाजित की गई है और ऐसे शेयरों या स्टॉक के समानुरूप हित से है।

''लिखित में'' या ''लिखित'' का आशय छपाई, लिथो छपाई और अन्य तरीके से शब्दों की दृश्य रूप में प्रतिकृति या निरूपण से है।

पुलिंगवाची शब्दों में स्त्रीलिंग वाची शब्द भी शामिल हैं।

अधिनियम की अभिव्यक्तियों का अंतर्नियमों में भी वही अर्थ है:- उपर्युक्त के अध्यधीन, अधिनियम में परिभाषित किन्हीं शब्दों या अभिव्यक्तियों का, यदि विषय-वस्तु या संदर्भ में निषिद्ध न हो इन अंतर्नियमों में भी वही अर्थ होगा।

2. **Company to be a private Company :** The Company is a private Company and accordingly :-

(a) The number of members for the time being of the Company (exclusive of (i) persons who are for the time being in the employment of the Company and (ii) persons who, having been formerly in the employment of the Company were members of the Company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased) is not to exceed fifty, but where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly they shall, for the purposes of the Article, be treated as a single member.

(b) Any invitation of the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is hereby prohibited

(c) The right of transfer of shares shall be restricted as hereinafter provided.

3. **Table "A" not to apply :-** The regulations contained in Table "A" in the first Schedule to the Act shall not apply to the Company.

4. **Company to be governed by these Regulations :-** The regulations for the management of the Company and for the observance of the members thereof and their representatives shall, subject to any exercise of the statutory powers of the Company in reference to the repeal or alteration of or addition to its regulations by special resolution, as prescribed or permitted by the Act, be such as are contained in these Articles.

5. **Capital :-** The authorised share capital of the Company is Rupees 700[1] crores divided into 70,00,000 equity shares of Rs.1,000/- each.

6. **Company's shares not to be purchased :-** No part of the funds of the Company shall be employed in the purchase of or in loans upon the security of the Company's shares.

7. **Allotment of shares :-** Subject to the provision of the Act and these Articles and to the rights of the President, the shares shall be under the control of the Board of Directors who may allot or otherwise dispose of the same to such persons and on such terms and conditions as they think fit.

8. **Commission for placing shares :-** The Company may at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares, debentures or debenture stock of the Company or procuring or agreeing to procure subscription whether absolute or conditional for any shares, debentures, or debenture stock of the Company, but so that if the commission in respect of shares shall be paid or payable out of capital the statutory conditions and requirements shall be observed and complied with and the amount or rate of commission shall not exceed 5 percent of the price at which the shares are issued and 2 ½ percent of the price at which the debentures or debenture stock are issued. The commission may be paid or satisfied in cash or in shares, debentures or debenture stock of the Company.

9. **Share certificates :-** Every person whose name is entered as a member in the register shall, without payment, be entitled to a certificate under the common seal of the Company specifying the share or shares held by him and the amount paid thereon. Provided that, in respect of a share or shares held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint-holders shall be sufficient delivery to all.

---

1. Special Resolution passed on 05.02.2009

2. **कंपनी निजी कंपनी होगी :-** कंपनी एक निजी कंपनी है और तदनुसार :-

(क) तत्समय कंपनी के सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी (जिनमें (1) ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो तत्समय कंपनी की नौकरी में हैं, और (2) ऐसे व्यक्ति जो तत्समय कंपनी की नौकरी में रहते हुए, उस नौकरी के दौरान कंपनी के सदस्य थे और नौकरी समाप्त होने के बाद भी सदस्य बने रहे) परन्तु जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कंपनी के एक या अधिक शेयरों के धारक हों, तो इस अंतर्नियम के प्रयोजनों से उन्हें एक सदस्य माना जाएगा।

(ख) कंपनी के शेयरों या ऋण-पत्रों के लिए अभिदान के सार्वजनिक आमंत्रण का एतद्द्वारा निषेध किया जाता है।

(ग) जैसा कि आगे व्यवस्था की गई है, शेयरों के अंतरण का अधिकार प्रतिबंधित होगा।

3. **सारणी "क" लागू नहीं होगी :-** अधिनियम की प्रथम अनुसूची की सारणी "क" में अंतर्विष्ट विनियम इस कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

4. **कंपनी पर ये विनियम लागू होंगे :-**

कंपनी के प्रबंधन के लिए तथा उसके सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों के अनुपालन के लिए प्रयुक्त होने वाले विनियम इन अंतर्नियमों के जैसे ही होंगे किंतु अधिनियम में यथानिर्धारित या स्वीकृत विशेष संकल्प द्वारा इसके विनियमों को रद्द करने अथवा परिवर्धन करने के संदर्भ में कंपनी की विधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

5. **i**ɐ**h:-** कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 700 करोड़ रुपये[1] है जो 1000 रुपये के 70,00,000 (सत्तर लाख) ईक्विटी शेयरों में विभाजित है।

6. **कंपनी के शेयरों को खरीदा न जाए :-** इस कंपनी की निधि का कोई भाग इस कंपनी के शेयरों की खरीद या इनकी प्रतिभूति पर ऋण में नहीं लगाया जाएगा।

7. **शेयरों का आबंटन :-** अधिनियम के उपबंधों और इन अंतर्नियमों और राष्ट्रपति के अधिकारों के अध्यधीन शेयर निदेशक बोर्ड के नियंत्रण में होंगे, जो इन्हें ऐसे व्यक्तियों को ऐसे निबंधन और शर्तों पर आबंटित कर सकते हैं या इनका अन्यथा निपटान कर सकते हैं, जैसे वे उचित समझें।

8. **शेयरों पर कमीशन :-** कंपनी किसी भी समय किसी व्यक्ति को कंपनी के किसी शेयर, डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टॉक के अभिदान के लिए अथवा अभिदान के लिए (पूर्णतः अथवा सशर्त) सहमत होने पर अथवा कंपनी के किसी शेयर, डिबेंचर, अथवा डिबेंचर स्टॉक को पूर्ण रूप से अथवा सशर्त प्राप्त करने के लिए अथवा अभिदान प्राप्त करने के लिए सहमत होने पर कमीशन का भुगतान कर सकता है, किन्तु यदि किसी शेयर के लिए कमीशन का भुगतान पूँजी में से किया जाता है अथवा भुगतान देय होता तो कानूनी शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा तथा कमीशन की राशि अथवा दर शेयर जारी करने के मूल्य के 5 प्रतिशत और डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टॉक जारी करने के मूल्य के 2½ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कमीशन का भुगतान नकद अथवा कंपनी के शेयर, डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टॉक के रूप में किया जाए।

9. **शेयर प्रमाण-पत्र :-** जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज है वह कंपनी की सामान्य मोहर लगा हुआ प्रमाण-पत्र निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें उसके द्वारा धारित शेयर या शेयरों और तत्संबंध में भुगतान की गई धन-राशि का उल्लेख होगा। किन्तु यदि किसी शेयर या शेयरों के कई व्यक्ति संयुक्त धारक हों तो कंपनी एक से अधिक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी और शेयर या शेयरों के संयुक्त धारको में से किसी एक शेयर धारक को प्रमाण-पत्र देने को यह मान लिया जाएगा कि सभी शेयरधारकों को प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

---

1. तारीख 05.02.2009 को पारित विशेष संकल्प

10. **Issue of new share certificate in place of one defaced, lost or destroyed :-** If a share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee, if any, and on such terms, if any, as to evidence and indemnity and the payment of out of pocket expenses incurred by the Company in investigating evidence as the Directors think fit.

11. **Calls on shares :-** The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their shares and specify the time or times of payments, and each member shall pay to the Company at the time or times so specified the amount called on his shares.

Provided, however, that the Board may, from time to time, at its discretion extend the time fixed for the payment of any call and may extend such time to allow any of the members whom, from residence at a distance or other cause, the Directors may deem entitled to such extension, but no member shall be entitled to such extension save as a matter of grace and favour.

12. **When interest on call payable :-** If a sum payable in respect of any call be not paid on or before the day appointed for payment thereof the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, shall pay interest on the same at such rate not exceeding 6 percent per annum as the Board shall fix from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may waive payment of such interest wholly or in part.

13. **Payment in anticipation of calls may carry interest :-** The Board may, if they think fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the moneys due upon the share held by him beyond the sums actually called for and upon the moneys so paid in advance or so much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which such advance has been made, the Company may pay interest at such rate not exceeding 6 percent per annum as the members paying such sum in advance and the Board agree upon, and the Board may, at any time, repay the amount so advanced upon giving to such member three months notice in writing.

14. **Joint-holders' liability to pay :-** To joint-holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

15. **Company's lien on shares :-** The Company shall have a first and paramount lien on every share (not being a fully-paid share) for all moneys (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share, and the Company shall also have a lien on all shares (other than fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Company, but the Board of Directors may, at any time, declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this Article. The Company's lien, if any, on share shall extend to any dividends payable thereon.

16. **Enforcement of lien by sale :-** The Company may sell in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the Company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable or until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share, or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

10. **विरूपित, खोए हुए या नष्ट हुए शेयर प्रमाण-पत्रों के स्थान पर नए शेयर प्रमाण-पत्र जारी करना :-** यदि कोई शेयर प्रमाण-पत्र विरूपित हो जाता है, खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर, यदि कोई हो और अपेक्षित शर्तो पर, यदि कोई हो, साक्ष्य और क्षतिपूर्ति के रूप में, जैसा कि निदेशक उचित समझे कंपनी द्वारा साक्ष्य की जांच-पड़ताल में हुए खर्च के भुगतान पर नया प्रमाण-पत्र ज़ारी किया जा सकता है।

11. **शेयरों पर मांग :-** बोर्ड समय-समय पर, सदस्यों से अपने शेयरों के संबंध में भुगतान न की गई राशि की माँग कर सकता है तथा राशि और भुगतान की समय- सीमा का उल्लेख कर सकता है, और प्रत्येक सदस्य कंपनी को निर्दिष्ट समय- सीमा में शेयरों के संबंध में मांगी गई राशि का भुगतान करेगा।

तथापि, व्यवस्था यह है कि बोर्ड समय-समय पर अपने विवेकानुसार मांगी गई राशि के भुगतान के लिए ऐसे सदस्यों की निश्चित समय-सीमा बढ़ा सकते हैं जिन्हें वे उनके निवास के दूर होने या अन्य कारण से ऐसी अवधि बढ़ाए जाने का हकदार समझें, परंतु कृपा या अनुग्रह के रूप में ही कोई सदस्य निश्चित अवधि में इस छूट का हकदार होगा।

12. **मांगी गई राशि पर ब्याज कब देय होगा :-** मांगी गई राशि के संबंध में देय राशि का भुगतान यदि उसके लिए निर्धारित दिन या उससे पूर्व नहीं किया जाता तो संबंधित शेयर का वर्तमान धारक या आबंटिती भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक भुगतान के समय तक बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देगा जो 6 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगा परंतु बोर्ड ऐसे ब्याज के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है।

13. **मांग के पूर्वानुमान पर भुगतान की गई राशि पर ब्याज दिया जा सकता है :-** यदि बोर्ड उचित समझे तो धारित शेयरों पर वास्तव में मांगी गई देय राशियों से अधिक राशि, पूर्णतः या अंशतः का अग्रिम भुगतान करने के इच्छुक सदस्य से भुगतान प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार भुगतान की गई अग्रिम राशि या जो राशि शेयरों पर समय - समय पर मांगी गई राशि से उस समय अधिक होगी उस राशि पर जो सदस्य अग्रिम देता है, और बोर्ड के सहमत होने पर, कंपनी अधिकतम 6 प्रतिशत दर पर ब्याज दे सकती है और बोर्ड किसी भी समय इस प्रकार प्राप्त अग्रिम राशि को, लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर वापस कर सकता है।

14. **संयुक्त धारकों का भुगतान का दायित्व :-** शेयर के संयुक्त धारकों पर शेयरों के संबंध में मांगी गई राशि के भुगतान का संयुक्त और वैयक्तिक दायित्व होगा।

15. **शेयरों पर कंपनी का पुनर्ग्रहणाधिकार :-** जिस शेयर पर राशियाँ (वर्तमान में देय हों या न हों) मांगी गई हैं या जिस पर नियत समय पर राशियाँ देय हैं उस प्रत्येक शेयर (जिस शेयर का पूरा भुगतान नहीं हुआ है) पर सर्वप्रथम और सर्वोपरि पुनर्ग्रहणाधिकार कंपनी का होगा और कंपनी का किसी व्यक्ति के नाम पंजीकृत उन शेयरों (पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के अलावा) पर भी पुनर्ग्रहणाधिकार होगा जिनके संबंध में हाल ही में उस व्यक्ति या उसकी संपदा द्वारा कंपनी को राशियाँ देय हों परंतु निदेशक बोर्ड किसी समय किसी शेयर को पूर्णतः या अंशतः इस अंतर्नियम के उपबंधों से छूट दे सकते हैं। किसी शेयर पर कंपनी का पुनर्ग्रहणाधिकार, यदि हो तो, उस पर देय लाभांशों पर भी लागू होगा।

16. **बिक्री द्वारा पुनर्ग्रहणाधिकार का प्रवर्तन :-** बोर्ड जैसा उचित समझे, कंपनी उस तरीके से ऐसे किन्ही भी शेयरों की बिक्री कर सकती है, जिस पर कंपनी का पुनर्ग्रणाधिकार है, परंतु बिक्री तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि जिस राशि के संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार विद्यमान है वह उस समय देय हो या उक्त राशि का उल्लेख करते हुए और उसके भुगतान की मांग का लिखित नोटिस देने के बाद चौदह दिन बीत जाने के बाद तक उक्त राशि तत्समय शेयर में पंजीकृत धारक या उसके हकदार व्यक्ति को उसकी मृत्यु या दिवालियेपन के कारण दे दी गई है।

17. **Application of proceeds of sale :-** The proceeds of the sale shall be applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares prior to the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale. The purchaser shall be registered as the holder of the shares, and he shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

18. **Forfeiture of shares :-** If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.

19. The notice aforesaid shall :-

(a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and

(b) State that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

20. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time hereafter, before the payment required by notice has been made, be forfeited by a resolution by the Board to that effect.

21. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit.

22. At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.

23. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeiture shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the Company all moneys which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the Company in respect of the shares.

24. The liability of such person shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares .

25. A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary of the Company, and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share.

26. The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of.

27. The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share.

17. **बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग :-** बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग इस समय देय उस राशि के भुगतान में किया जाएगा जिस पर पुनर्ग्रहणाधिकार विद्यमान है और शेष राशि (किन्तु इसमें वे राशियाँ शामिल नहीं हैं जिन पर इस समय पुनर्ग्रहण अधिकार नहीं है और जिन पर शेयर की बिक्री से पहले पुनर्ग्रहणाधिकार विद्यमान हो) बिक्री की तारीख को शेयरों के हकदार व्यक्ति को दे दी जाएगी। क्रेता को शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और वह क्रय राशि का कैसे उपयोग किया गया है यह देखने के लिए बाध्य नहीं होगा न ही बिक्री की कार्यवाही के संदर्भ में किसी अनियमितता या शेयरों पर उसका हक प्रभावित होगा।

18. **शेयरों का समपहरण :-** यदि कोई सदस्य मांगी गई राशि या उसकी किस्त भुगतान के लिए नियत तारीख को चुकाने में असमर्थ रहता है तो बोर्ड उसके पश्चात किसी भी समय मांगा या किस्त के किसी भाग के भुगतान न किए जाने की अवधि के दौरान उस राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित बकाया मांग और किस्त का भुगतान करने के लिए उसे नोटिस दे सकता है।

19. **उक्त नोटिस में :-**

क. भविष्य की कोई तारीख (जो नोटिस के तामील होने की तारीख से 14 दिन समाप्त होने से पहले का नहीं होना चाहिए) नियत तारीख तक या जिससे पहले नोटिस में अपेक्षित भुगतान किया जाना है।

ख. यह उल्लेख होगा कि इस प्रकार नियत तारीख या उससे पहले भुगतान न किए जाने की स्थिति में उन शेयरों का समपहरण कर लिया जाएगा, जिनके संबंध में राशि की मांग की गई थी।

20. यदि इस प्रकार के किसी नोटिस की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो नोटिस तामील करने के पश्चात किसी भी समय नोटिस में मांगी गई राशि का भुगतान करने से पहले, इस संबंध में बोर्ड द्वारा पारित संकल्प द्वारा उस शेयर का समपहरण किया जा सकता है।

21. समपहरण किए गए शेयर को ऐसी शर्तों और इस तरीके से बेंचा अथवा अन्यथा निपटाया जा सकता है जैसा कि बोर्ड उचित समझे।

22. उक्त तरीके से शेयर बेचने या निपटाने से पहले किसी भी समय बोर्ड ऐसी शर्तों पर समपहरण रद्द कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

23. जिस व्यक्ति के शेयरों का समपहरण हुआ है, वह समपहृत शेयरों के संबंध में सदस्य नहीं रहेगा परन्तु समपहरण होने पर भी वह कंपनी को सब धन राशियाँ देने के लिए जिम्मेदार होगा जो शेयरों के संबंध में समपहरण की तारीख को उसे अदा करनी थी।

24. जैसा कि कंपनी को शेयरों के संबंध में सभी राशियाँ प्राप्त हो जाएगीं तो ऐसे व्यक्ति की देयता समाप्त हो जाएगी।

25. लिखित रूप में विधिवत सत्यापित यह घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक या सचिव है और घोषणा में उल्लिखित तारीख को कंपनी में शेयर का विधिवत रूप से समपहरण किया गया है, शेयर के हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में उल्लिखित तथ्य निर्णायक साक्ष्य होगी।

26. कंपनी शेयर की बिक्री या निपटान के लिए दिया गया प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकती है और जिस व्यक्ति को शेयर बेचा गया है, या उसका निपटान किया गया है, उसके पक्ष में शेयर का अंतरण कर सकती है।

27. तत्पश्चात हस्तांतरी को धारक के रूप में पंजीकृत कर लिया जाएगा।

28. The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

29. The provisions of these regulations as to forfeiture, shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

30. Transfer and transmission of shares :- The right of members to transfer their shares shall be restricted as follows:-

(a) A share may be transferred by a member or other person entitled to transfer to a person approved by the President.

(b) Subject as aforesaid, the Directors, may, in their absolute and uncontrolled discretion, refuse to register any purposed transfer of shares.

31. If the Directors refuse to register the transfer of any shares, they shall, within two months from the date on which the instrument of transfer or the intimation of such transfer, as the case may be, is delivered to the Company, send to the transferee and the transferor, notice of the refusal.

Save as herein otherwise provided, the Directors shall be entitled to treat the person whose name appears on the register of members as the holder of any share as the absolute owner thereof and accordingly shall not (except as ordered by a court of competent jurisdiction or as by law required) be bound to recognise any benami trust or equity or equitable contingent or other claim to or interest in such share on the part of any person, whether or not it shall have express or implied notice thereof.

32. Execution of transfer :- The instrument of transfer of any share in the Company shall be executed both by the transferor and transferee, and the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.

33. Form of transfer :- Shares in the Company shall be transferred in the following from, or in any usual or common form which the Directors may approve.

I,A B of.....in consideration of the sum of Rs.....paid to me by CD of.....(hereinafter called "the said transferee") do hereby transfer to the said transferee the shares numbered.....to.....inclusive, in the undertaking called the.....Company , limited to hold unto the said transferee, his executors, administrators and assigns, subject to the several conditions on which I held the same at the time of the execution hereof, and I, the said transferee do, hereby agree to take the said shares subject to the conditions aforesaid. As witness our hands the.....day of.....

Witness to the signature of etc. (Every instrument of transfer shall be attested).

28. यदि कोई क्रय-राशि हो तो, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा यह देखने के लिए हस्तांतरी बांध्य नहीं होगा और न ही शेयर के समपहरण, विक्रय या निपटान संबंधी कार्यवाही में अनियमितता या अविधिमान्यता से उसका हक प्रभावित होगा।

29. समपहरण संबंधी इन विनियमों के उपबंध ऐसी राशि के भुगतान न किए जाने के मामले में भी लागू होंगे जो शेयर के निर्गम की शर्तो के अधीन उसी तरह नियत समय पर देय हो जाते हैं चाहे वे शेयर के अंकित मूल्य के कारण हों या प्रीमियम के रूप में देय हों, जिस प्रकार वे विधिवत मांगे जाने और अधिसूचित किए जाने पर देय होते।

30. **शेयरों का अंतरण और संप्रेषण :-** अपने शेयरों के अंतरण संबंधी सदस्यों का अधिकार निम्नानुसार प्रतिबंधित होगा :-

(क) अंतरण करने का हकदार कोई सदस्य या व्यक्ति अपने शेयर का अंतरण राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को कर सकता है।

(ख) उपर्युक्त के अध्यधीन निदेशक अपने पूर्ण और अनियंत्रित विवेक पर शेयरों के अंतरण के किसी भी प्रस्ताव को पंजीकृत करने से इंकार कर सकते हैं।

31. यदि निदेशक किन्हीं शेयरों के अंतरण को पंजीकृत करने से इंकार करते हैं तो वे कंपनी को यथास्थिति अंतरण लिखित या अंतरण की सूचना देने की तारीख से दो महीने के भीतर हस्तांतरी और अंतरक को इंकार संबंधी नोटिस भेजेंगे।

इस संदर्भ में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, निदेशकों को ऐसे किसी भी व्यक्ति को शेयर का पूर्ण स्वामी मानने का अधिकार होगा जिसका नाम किसी शेयर के धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में शामिल है, और तदनुसार निदेशक ऐसे शेयर में (सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा आदेशित अथवा विधि द्वारा अपेक्षित मामले को छोड़कर) किसी व्यक्ति के किसी बेनामी न्यास, ईक्विटी या साम्यिक समाश्रित या अन्य दावे या ऐसे शेयर के हित को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, भले ही इस संबंध में अभिव्यक्त या निहित सूचना हो या न हो।

32. **अंतरण का निष्पादन :-** कंपनी में किसी शेयर के अंतरण का लिखित, अंतरक और हस्तांतरी-दोनों के द्वारा निष्पादित किया जाएगा और जब तक इस संबंध में हस्तांतरी का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाता, तब तक अंतरक को ही शेयर का धारक समझा जाएगा।

33. **अंतरण फॉर्म :-** कंपनी के शेयरों का अंतरण निम्नलिखित फॉर्म अथवा निदेशक द्वारा अनुमोदित किसी साधारण अथवा सामान्य फॉर्म में किया जाएगा :-

मैं ————————का क ख ————————के (जिसे इसके बाद उक्त हस्तांतरी कहा जाएगा) ग घ से———————— रुपये की राशि का भुगतान पाने पर एतद्द्वारा उक्त हस्तांतरी को क्रम संख्या ————————से ————————तक————————कंपनी नामक उपक्रम के शेयरों को हस्तांतरित करता हूँ जो उक्त हस्तांतरी, उसके निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों के पास रहेंगें और इन शेयरों पर वे शर्तें लागू होंगी जिन शर्तों के अंतर्गत मैं, उक्त हस्तांतरी, उपर्युक्त शर्तों के अंतर्गत उक्त शेयरों को लेने के लिए सहमति देता हूँ।

साक्षी के रूप में हमने आज तारीख ————————को हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर के गवाह आदि (अंतरण का प्रत्येक लिखित साक्ष्यांकित होना चाहिए)।

34. **Transfer to be left at office and evidence of title to be given :-** Every instrument of transfer shall be left at the office for registration, accompanied by the certificate of the shares to be transferred, and such evidence as the the Company may require to prove the title of the transferor, or his right to transfer the shares. All instruments of transfer shall be retained by the Company, but any instrument of transfer which the Directors may decline to register shall on demand be returned to the person depositing the same.

35. **Transmission by operation of law :-** Nothing contained in Article 30 shall prejudice any power of the Company to register as share-holder any person to whom the right to any shares in the Company has been transmitted by operation of law.

36. **Fee on transfer :-** A fee not exceeding two Rupees may be charged for each transfer and shall, if required by the Directors, be paid before the registration thereof.

37. **When transfer books and register may be closed :-** The transfer books and register of members may be closed for any time or times not exceeding in the whole 45 days in each year but not exceeding 30 days at a time, by giving not less than seven days previous notice and in accordance with Section 154 of the Act.

38. **Directors right to refuse registration :-** The Directors shall have the same right to refuse to register a person entitled by transmission to any shares or his nominee, as if he were the transferee named in an ordinary transfer presented for registration .

39. **Power to increase capital :-** Subject to the approval of the President, the Directors may, with the sanction of the Company in general meeting, increase the share capital by such sum, to be divided into share of such amount, as the resolution shall prescribe.

40. **On what condition new shares may be issued :-** Subject to such directions as may be issued by the President in this behalf and subject to the provisions of Section 88 of the Act, new shares shall be issued upon such terms and conditions and with such rights and privileges annexed thereto as the general meeting resolving upon the creation thereof shall direct, and if no direction be given, as the Directors shall determine.

41. **How far new shares to rank with shares in original capital :-** Except so far as otherwise provided by the conditions of issue, or by these Articles, any capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the provision herein contained with reference to the payment of calls and instalments, transfer and transmission, lien, voting surrender and otherwise.

42. **New shares to be offered to members :-** The new shares shall be at the disposal of the Board and may be allotted by them in such a manner as may be thought fit, subject to the directions given by the President in that behalf.

43. **Reduction of capital etc :-** Subject to such directions as may be issued by the President in this behalf and to the provision of Section 100 to 104 of the Act, the Company may, from time to time, by special resolution reduce its capital in any way, and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power may :

34. **अंतरण का कार्य कार्यालय पर छोड़ दिया जाएगा और हक संबंधी प्रमाण प्रदान किया जाएगा :-** अंतरण का प्रत्येक लिखित अंतरणीय शेयरों के प्रमाण-पत्र और अंतरक के शेयरों के अंतरण संबंधी हक या अधिकार के प्रमाण में कंपनी द्वारा अपेक्षित साक्ष्य सहित पंजीकरण के लिए कार्यालय को सौंप दिया जाएगा। अंतरण के सभी लिखित कंपनी द्वारा रख लिए जाएंगे परंतु यदि निदेशक किसी लिखित को पंजीकृत करने से इंकार करें तो इन लिखितों को जमाकर्ता व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर उसे वापस कर दिया जाएगा।

35. **विधि-प्रवर्तन द्वारा शेयरों का प्रेषण :-** जिस व्यक्ति को विधि के परिवर्तन द्वारा कंपनी के किन्हीं शेयरों का अधिकार प्रेषित किया गया है, अंतर्नियम 30 में दी गई किसी बात का शेयरधारक के रूप में पंजीकृत करने के कंपनी के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

36. **अंतरण के लिए शुल्क :-** प्रत्येक अंतरण पर अधिकतम दो रुपए शुल्क वसूल किया जाएगा और यदि निदेशक द्वारा अपेक्षित हो तो उसका भुगतान पंजीकरण से पूर्व किया जाएगा।

37. **अंतरण पुस्तिकाएँ और सदस्यों का रजिस्टर कब बंद किया जाए :-** अंतरण पुस्तिकाएँ और सदस्यों का रजिस्टर हर वर्ष किसी अवधि या अवधियों के लिए कम से कम सात दिन का पूर्व नोटिस देकर और अधिनियम की धारा 154 के अनुसार बंद किया जा सकता है, जिसकी अवधि एक बार मे 30 दिन से अधिक नहीं होगी और वर्ष में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होगी।

38. **पंजीकरण से इंकार करने का निदेशकों का अधिकार :-** किन्हीं शेयरों के प्रेषण द्वारा हकदार व्यक्ति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पंजीकृत करने से इंकार करने का निदेशकों को वैसा ही अधिकार होगा जैसे कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत साधारण अंतरण में नामित हस्तांतरी।

39. **पूँजी बढ़ाने की शक्ति :-** राष्ट्रपति के अनुमोदन से निदेशक कंपनी की साधारण बैठक की स्वीकृति से, संकल्प में यथा - निर्धारित राशि तक शेयर पूँजी बढ़ा सकता है जो बराबर के शेयरों में विभक्त होगी।

40. **नए शेयर किस शर्त पर जारी किए जा सकते हैं :-** इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी निदेशों और अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अधीन नए शेयर इसके साथ संलग्न शर्तों और निबंधनों पर और अधिकारों और विशेषाधिकारों पर जारी किए जा सकते हैं जैसा कि साधारण बैठक में इनके सृजन के संबंध में निदेश दिया जाए और यदि साधारण बैठक निदेश न दे तो जैसा निदेशक निर्धारित करें।

41. **नए शेयर, मूल पूँजी के शेयरों के साथ किस वर्ग में आएंगे :-** जारी करने की शर्तो या इन अंतर्नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाये, नए शेयरों के सृजन द्वारा प्राप्त की गई पूँजी, मूल पूँजी का अंश समझी जाएगी तथा संबंधित मांग और किश्तों के भुगतान, अंतरण और प्रेषण पुनर्ग्रहणाधिकार, मतदान, अभ्यर्पण और अन्यथा के संदर्भ में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन होगी।

42. **नए शेयर सदस्यों को दिए जाएंगे :-** राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निदेशों के अधीन, नए शेयरों के निपटान की जिम्मेदारी बोर्ड की होगी तथा वे समुचित तरीके से शेयरों का आबंटन करेंगे।

43. **पूँजी इत्यादि में कमी करना :-** अधिनियम की धारा 100 से 104 तक के उपबंधों और राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निदशों के अधीन कंपनी समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा किसी रूप में भी अपनी पूँजी कम कर सकती है तथा विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :-

(a) extinguish or reduce the liability or any of its shares in respect of share capital not paid-up;

(b) either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid-up share capital which is lost or is unrepresented by available assets or;

(c) either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, pay off any paid-up share capital which is in excess of the wants of the Company upon the footing that it may be called up again or otherwise. And the Directors may, subject to the provisions of the Act, accept surrenders of shares.

44. **Sub-division and consolidation of shares :-** Subject to the approval of the President, the Company in general meeting may, from time to time:

(a) increase its share capital by such amount as it thinks expedient by issuing new shares;

(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

(c) convert all or any of its fully paid-up shares into stock and reconvert that stock in fully paid-up shares of any denomination;

(d) Sub-divide its shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum, so, however, that in the sub-division the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each reduced share shall be the same as it was in the case of the share from which the reduced share is derived;

(e) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution in that behalf, have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.

And shall file with the Registrar such notice of exercise of any such powers as required by the Act.

45. **Power to modify :-** If at any time, the capital, by reason of the issue of preference shares or otherwise, is divided into different classes of shares all or any of the rights and privileges attached to each class may, subject to the provisions of Section 106 of the Act, be modified, abrogated or dealt with by agreement between the Company and by any person purporting to contract on behalf of that class, provided such agreement is (a) ratified in writing by the holders of at least three-fourth of the nominal value of the issued shares of that class or (b) confirmed by an ordinary resolution passed at a separate general meeting of the holders of shares of that class and all the provisions hereinafter contained as to general meeting shall *mutatis mutandis* apply to every such meeting except that the quorum thereof shall be members holding or representing by proxy one-fifth of the nominal amount of the issued shares of that class. This Article is not by implication to curtail the power of modification which the Company would have if the Article were omitted.

46. **Power to borrow :-** Subject to the approval of the President and subject to the provision of the Act, the Board may, from time to time, borrow or secure the payment of any sum or sums of money for the purposes of the Company.

(क) अदत्त शेयर पूँजी के संबंध में से किसी पर देयता समाप्त या कम करके;

(ख) शेयरों में से किसी पर या तो देयता समाप्त या कम करके अथवा देयता समाप्त या कम करे बिना उपलब्ध परिसंपत्ति द्वारा अनिरूपित या नष्ट किसी प्रदत्त शेयर पूँजी को निरस्त करके अथवा;

(ग) शेयरों में से किसी पर या तो देयता समाप्त या कम करके अथवा देयता समाप्त या कम करे बिना, कंपनी की आवश्यकता से अधिक किसी प्रदत्त शेयर पूँजी को इस आधार पर लौटा कर कि इसे फिर मांगा जा सकता है या अन्यथा, निदेशक, अधिनियम के उपबंधों के अधीन शेयरों का अभ्यर्पण स्वीकार करके, पूँजी कम कर सकती है।

44. **शेयरों का उपविभाजन और समेकन** :- राष्ट्रपति के अनुमोदन से, कंपनी समय-समय पर साधारण बैठक में :-

(क) नए शेयर जारी कर के अपनी शेयर पूँजी समुचित सीमा तक बढ़ा सकती है;

(ख) कंपनी सभी या किसी शेयर पूँजी को शेयरों की वर्तमान राशि से अधिक राशि के शेयरों में विभाजित और समेकित कर सकती है;

(ग) अपने पूर्णतः प्रदत्त सभी शेयरों को या किसी शेयर को स्टॉक में बदल सकती है और उस स्टॉक को किसी भी मूल्य-वर्ग के पूर्णतः प्रदत्त शेयरों में फिर से बदल सकती है;

(घ) अपने शेयरों या उनमें से किन्हीं शेयरों को ज्ञापन द्वारा नियत राशि से कम राशि में उपविभाजित कर सकती है, यद्यपि उप विभाजन में प्रत्येक घटाए गए शेयर पर चुकता की गई या अदत्त राशि में, यदि कोई हो तो, वही अनुपात होगा जैसा कि उस शेयर के संबंध में होता जिससे घटाया गया शेयर व्युत्पन्न हुआ है;

(ड) जो शेयर किसी व्यक्ति ने नहीं लिए हैं या जिनके लिए जाने के बारे सहमति नहीं हुई है, ऐसे शेयर, इस संबंध में संकल्प पारित किए जाने की तारीख को रद्द किए जा सकते हैं और इस प्रकार रद्द किए गए शेयर की राशि कंपनी की शेयर पूँजी में से कम की जा सकती है। अधिनियम में यथापेक्षित ऐसी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग का नोटिस रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

45. **आशोधन की शक्ति** :- यदि किसी समय, अधिमान शेयर जारी किए जाने के कारण या अन्यथा, पूँजी विभिन्न वर्गो के शेयरों में विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक वर्ग से संबंधित सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों अथवा इनमें से किसी का अधिनियम की धारा 106 के उपबंधों के अधीन आशोधन, निराकरण अथवा निपटान, कंपनी और उस वर्ग की ओर से संविदा करने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के बीच करार के माध्यम से किया जा सकता है, बशर्ते (क) उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के तीन - चौथाई हिस्से के धारकों द्वारा उक्त करार का लिखित रूप में अनुसमर्थन किया गया हो या (ख) उस वर्ग के शेयरों के धारक एक पृथक साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित करके करार की पुष्टि करें और साधारण बैठक के संबंध में समाविष्ट सभी उपबंध, इसके बाद प्रत्येक ऐसी बैठक पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे परंतु अपवाद यह है कि ऐसी बैठकों के कोरम में ऐसे सदस्य या परोक्षी प्रतिनिधि शामिल होंगे जो उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों की अंकित राशि के 1/5 अंश के हिस्सेदार हों। इस अंतर्नियम का निहितार्थ संशोधन करने की उन शक्तियों को कम करना नहीं है जो इस अंतर्नियम को समाप्त कर देने पर कंपनी को प्राप्त होती।

46. **ऋण लेने की शक्ति** :- राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन और अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड समय - समय पर कंपनी के प्रयोजनों के लिए कोई राशि ऋण के रूप में ले सकता है अथवा भुगतान प्राप्त कर सकता है।

47. **Conditions on which money may be borrowed :-** The Board may, subject to the approval of the President, raise or secure the payment or repayment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as it thinks fit and in particular, by the issue of bonds, perpetual, or redeemable debentures or debenture stock, or any mortgage, charge or other security on the undertaking of the whole or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being.

48. **Securities may be assignable free from equities :-** Debentures, debenture stock, bonds or other securities, may be made assignable free from any equities between the Company and the person to whom the same may be issued.

49. **Issue of debentures etc., at discount or with special privileges :-** Subject to the approval of the President and Section 117 of the Act any debentures, debenture stock, bonds or other securities may be issued at a discount, premium or otherwise, and with any special privileges as to redemption, surrender, drawings, appointment of Directors and otherwise.

50. **Persons not to have priority over any prior charge :-** Whenever any uncalled capital of the Company is charged all persons taking any subsequent charge thereon shall take the same subject to such prior charge and shall not be entitled, by notice to the share-holders or otherwise, to obtain priority over such prior charge.

51. **Indemnity may be given :-** If the Directors or any of them or any other person shall become personally liable for the payment of any sum primarily due from the Company, the Directors may execute cause to be executed any mortgage, charge or security over or effecting the whole or any part of the assets of the Company by way of indemnity to secure the Directors or persons so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.

52. **General Meeting :-** The first annual general meeting of the Company shall be held within 18 months from the date of its incorporation and thereafter the next annual general meeting of the Company shall be held within 9 months after the expiry of the financial year in which the first annual general meeting was held and thereafter an annual general meeting shall be held by the Company within 9 months after the expiry of each financial year, in accordance with the provisions of Section 166 of the Act. Such general meetings shall be called "Annual General Meeting" and all other meetings of the Company shall be called "Extraordinary Meetings".

53. **When Extraordinary Meeting to be called :-** The Board may whenever they think fit, and they shall, on the requisition of the holders of not less than one-tenth of the paid-up capital of the Company upon which all calls or other sums then due have been paid forthwith proceed to convene an Extraordinary Meeting of the Company and in the case of such requisition the following provisions shall have effect :-

(1) The requisition must state the objects of the meeting and must be signed by the requisitionists and deposited at the office and may consist of several documents , in like form, each signed by one or more requisitionists.

47. **शर्तें, जिन पर ऋण लिया जा सकता है :-** राष्ट्रपति के अनुमोदन से बोर्ड ऐसी राशि इस तरीके से और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर एकत्रित कर सकता है अथवा भुगतान प्राप्त कर सकता है अथवा पुनर्भुगतान कर सकता है जैसा वह सभी प्रकार से ठीक समझें, तथा विशेष रूप से, बांड, सतत् अथवा प्रतिदेय डिबेंचर अथवा डिवेंचर स्टॉक जारी करके अथवा कंपनी की संपूर्ण संपत्ति अथवा उसके किसी भाग (जिसमें वर्तमान और भविष्य की संपत्ति शामिल है) जिसमें इसकी तत्समय की अनमांगी पूँजी भी शामिल है, के बंधक, प्रभार अथवा अन्य प्रतिभूति के माध्यम से वसूल या प्राप्त कर सकता है।

48. **प्रतिभूतियाँ ईक्विटी मुक्त समनुदेशनीय बनाई जा सकेगी :-** डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बांड अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ, कंपनी और उस व्यक्ति के बीच जिसे वे जारी किए जा सकेगें, ईक्विटी मुक्त समनुदेशनीय बनाई जा सकेगी।

49. **छूट या विशिष्ट विशेषाधिकारों के साथ डिबेंचर आदि जारी करना :-** राष्ट्रपति के अनुमोदन से और अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत किसी डिबेंचर, डिवेंचर स्टॉक, बांड अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ बट्टे पर, प्रीमियम पर अथवा अन्यथा जारी की जा सकती हैं और, जो प्रतिदान, अभ्यर्पण, आहरण, निदेशकों की नियुक्ति और अन्यथा, से संबंधित विशेषाधिकार से युक्त होंगे।

50. **किसी पूर्व प्रभार पर किसी व्यक्ति को अग्रता प्राप्त नहीं होगी :-** जब कभी कंपनी की कोई अनमांगी पूँजी प्रभारित की जाती है तो उस पर उत्तरवर्ती प्रभार प्राप्त करने वाले व्यक्ति उसे ऐसे पूर्व प्रभार के अंतर्गत प्राप्त करेंगे और शेयर धारक नोटिस देकर या अन्यथा ऐसे पूर्व प्रभार पर अग्रता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

51. **क्षतिपूर्ति की जा सकेगी :-** यदि निदेशकगण या उनमें से कोई या कोई अन्य व्यक्ति मुख्यतः कंपनी द्वारा देय किसी राशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी हो जाता है तो जो निदेशक या व्यक्ति उपर्युक्त के अनुसार दायी हो जाएंगे, निदेशक ऐसी देयता के संबंध में किसी हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी की संपूर्ण परिसंपत्ति या उसके किसी भाग को प्रभावित करते हुए उस पर किसी बंधक, प्रभार या प्रतिभूति का निष्पादन कर सकेंगे अथवा करवा सकेंगे।

52. **साधारण बैठक :-** अधिनियम की धारा 166 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की पहली वार्षिक साधारण बैठक, इसके निगमित होने की तारीख से 18 महीने के अंदर होगी तथा उसके बाद कंपनी की अगली वार्षिक साधारण बैठक, उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के अंदर होगी, जिस वर्ष में पहली वार्षिक साधारण बैठक हुई थी और उसके बाद, कंपनी द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के अंदर वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की जाएगी। ऐसी साधारण बैठकें साधारण वार्षिक बैठकें कहलाएगीं और कंपनी की सभी अन्य बैठकें ''असाधारण बैठकें'' कहलाएगीं।

53. **असाधारण बैठक कब बुलाई जाएगी :-** बोर्ड जब भी उचित समझें और कंपनी की प्रदत्त पूँजी जिन पर मांग की गई है और अन्य राशियों का भुगतान कर दिया गया है, के कम से कम दसवें हिस्से के शेयरधारकों द्वारा मांग किए जाने पर, तत्काल कंपनी की असाधारण बैठक बुलाएगी और ऐसी मांग किए जाने के मामले में निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे :-

(1) मांग पत्र में बैठक के उद्देश्यों का उल्लेख होना चाहिए और मांगकर्ताओं द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उसे कार्यालय को सौंप देना चाहिए, जिसके साथ एक ही तरह के कई दस्तावेज हो सकते हैं जिसमें प्रत्येक पर एक या एकाधिक मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर हो सकते हैं।

(2) If the Board does not proceed within 21 days from the date of deposit of a valid requisition to call a meeting on a day not later than 45 days from such date, the meeting may be called by such of the requisitionists as represent either a majority in value of the paid-up share capital held by all of them or not less than one-tenth of such of the paid-up share capital of the Company as is referred to in claues (a) of sub-section (4) of Section 169 whichever is less.

(3) Any meeting convened under this Article by the requisitionists shall be convened in the same manner as nearly as possible as that in which meetings are to be convened by the Directors.

If, after a requisition has been received, it is not possible for sufficient number of Directors to meet in time so as to form a quorum, any Director may convene an Extraordinary General Meeting in the same manner as nearly as possible as that in which meetings may be convened by the Directors.

54. **Notice of meeting :-** Subject to the provision relating to special resolution hereinafter contained, not less than 4 clear days notice in writing specifying the place, day and hour of meeting, with a statement of the business to be transacted at the meeting shall be served on every member in the manner hereinafter provided, but with the consent in writing of all the members entitled to receive notice of the same any particular general meeting may be convened by such shorter notice and in such manner as those members may think fit . Provided, however , that where any resolution is intended to be passed as a special resolution at any general meeting as required by the Act not less than twenty one days notice of such meetings specifying the intention to propose the resolution as a special resolution shall be served. Provided, further, that if all the members entitled to attend and vote at such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given.

55. **The Omission to give notice:-** An accidental omission to give any such notice to or the non-receipt of any such notice by any member shall not invalidate the proceedings at any meeting.

56. **Business of ordinary meeting:-** The business of any Annual General Meeting shall be to receive and consider the profit and loss account, the balance sheet, and the report of the Directors and of the Auditors, to declare dividends, and to transact any other business which under these Articles ought to be transacted at an Annual General Meeting. All other business transacted at an Annual General Meeting and all business transacted at an Extraordinary Meeting, shall be deemed special .

57. **Quorum :-** Two members present in person shall be a quorum for a general meeting.

58. **Right of President to appoint any person as his representative :-**

(1) The President, so long as he is a share-holder of the Company, may from time to time, appoint one or more persons (who need not be a member or members of the Company) to represent him at all or any meetings of the Company.

(2) Any one of the persons appointed under Sub-clause (1) of this Article who is personally present at the meeting shall be deemed to be a member entitled to vote and be present in person and shall be entitled to represent the President at all or any such meetings and to vote on his behalf whether on a show of hands or on a poll.

(2) यदि बोर्ड, इस प्रकार प्राप्त वैध मांग-पत्र की तारीख से 21 दिन के अंदर इन विषयों पर विचार करने के लिए उक्त तारीख से 45 दिन के अंदर बैठक बुलाने के लिए कार्यवाही नहीं करता है तो ऐसे मांगकर्ताओं द्वारा बैठक बुलाई जा सकती है जो या तो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के प्रमुख हिस्से के धारक हों या जो अधिनियम की धारा 169 की उपधारा (4) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसी प्रदत्त शेयर पूँजी के कम से कम दसवें हिस्से के धारक हों, जो भी कम है।

(3) इस अंतर्नियम के अंतर्गत मांगकर्ताओं द्वारा बुलाई गई कोई भी बैठक यथासंभव उसी रीति से आयोजित की जाएगी, जैसे कि निदेशक द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

यदि, मांग-पत्र प्राप्त होने के पश्चात निदेशकों के लिए पर्याप्त संख्या में यथासमय एकत्रित होकर कोरम पूरा करना संभव हो तो कोई भी निदेशक, असाधारण, साधारण बैठक का आयोजन यथासंभव उसी रीति से कर सकता है जैसे कि निदेशक द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

54. **बैठक का नोटिस :-** इसमें इसके पश्चात्, समाविष्ट विशेष संकल्पों से संबंधित उपबंधों के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक सदस्यों को कम से कम पूरे 4 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें बैठक के कार्यवृत्त का विवरण, स्थान, दिन और समय का उल्लेख होगा परंतु नोटिस पाने के हकदार सभी सदस्यों की लिखित सहमति कम समय का नोटिस देकर और ऐसे ढंग से जैसा कि सदस्य उचित समझे विशेष साधारण बैठक का आयोजन किया जा सकेगा। परंतु जब किसी साधारण बैठक में अधिनियम द्वारा अपेक्षित विशेष संकल्प के रूप में कोई संकल्प पारित करना अभीष्ट हो तो संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित करने के आशय का उल्लेख करते हुए ऐसी बैठक के लिए कम से कम 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा। तथापि ऐसी बैठक में उपस्थित होने और मत देने के अधिकारी सदस्य सहमत हों तो 21 दिन से कम का नोटिस देकर भी बैठक में किसी संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित और पारित किया जा सकता है।

55. **नोटिस देने में चूक :-** किसी सदस्य को ऐसा कोई नोटिस दिए जाने में होने वाली आकस्मिक चूक और सदस्य द्वारा नोटिस प्राप्त न होने से किसी बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

56. **साधारण बैठक का कार्यव्यापार :-** वार्षिक साधारण बैठक के कार्यव्यापार में लाभ-हानि लेखा, तुलन - पत्र और निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना और विचार करना, लाभांश घोषित करना और अन्य कोई कार्य जो इन अंतर्नियमों के अंतर्गत वार्षिक साधारण बैठक में किया जाना चाहिए, शामिल होंगे। वार्षिक साधारण बैठक में किए गए अन्य सभी कार्य और असामान्य बैठक में किए गए सभी कार्य विशेष समझे जाएंगे।

57. **कोरम :-** व्यक्तिगत रूप में उपस्थित दो सदस्यों से साधारण बैठक का कोरम बनेगा।

58. **किसी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार :-**

(1) कंपनी के शेयर धारक होने के नाते राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी की सभी या किसी भी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में एक या एकाधिक व्यक्तियों (जिसका/जिनका कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है) को नियुक्त कर सकता है।

(2) इस अंतर्नियम के उपखंड (1) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों में से कोई एक, जो बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, को मत देने का हक होगा और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य समझा जाएगा और उसे ऐसी किसी या सभी बैठकों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने और उनकी ओर से मत देने का हक होगा, चाहे मतदान हाथ उठाकर हो या मत-पत्र द्वारा।

(3) बैठक में भारत के संविधान में यथा उपबंधित राष्ट्रपति के आदेश को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने में कंपनी द्वारा उपर्युक्त

(3) The production at the meeting of an order of the President evidenced as provided in the Constitution of India shall be accepted by the Company as sufficient evidence of any such appointment or cancellation as aforesaid.

(4) Any person appointed by the President under this Article may, if so authorised by such order appoint a proxy, whether specially or generally.

59. **Chairman of the general meeting :-** The Chairman of the Directors shall be entitled to take the chair at every general meeting or if there be no such Chairman, or if at any meeting he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for holding such meeting or is unwilling to act as Chairman, the members present shall choose another Director as Chairman, and if no Director shall be present, or, if all the Directors present decline to take the chair, then the members present shall choose one of their number to be Chairman.

60. **When if quorum not present meeting to be dissolved and when to be adjourned :-** If within fifteen minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon any requisition of the members aforesaid shall be dissolved but in any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week not being a public holiday, (but if the same be a public holiday the meeting shall stand adjourned to the succeeding date of such public holiday) at the same time and place, and if, at such adjourned meeting a quorum is not present those members who are present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called.

61. **How questions to be decided at meetings :-** Every question submitted to a meeting shall be decided in the first instance by a show of hands, and in the case of any equality of votes the Chairman shall, both on a show of hands and at a poll (if any), have a casting vote in addition to the vote or votes to which he may be entitled as member.

62. **What is to be evidence of the passing of a Resolution where poll not demanded :-** At any general meeting resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands, unless a poll is before or on the declaration of the result of the show of hands, demanded by a member present in person or proxy or by duly authorised representative, and unless a poll is so demanded, a declaration by the Chairman that resolution has, on a show of hands, been carried or carried unanimously or by a particular majority or lost, and an entry to that effect in the book of proceedings of the Company, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number of proportion of the vote recorded in favour of or against that resolution.

63. **Poll :-** If a poll is duly demanded, it shall be taken in such manner and at such time and place in accordance with Sections 179 and 180 of the Act.

64. **Power to adjourn General Meeting :-** Chairman of a General Meeting may, with the consent of the meeting adjourn the same, from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

65. **In what cases poll taken without adjournment :-** Any poll duly demanded on the election of a Chairman of meeting or any question of adjournment shall be taken at the meeting and without adjournment.

किसी नियुक्ति या उसके रद्द किए जाने के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) इस अंतर्नियम के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि उसे ऐसे आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, तो विशेषतः या सामान्यतः परोक्षी नियुक्त कर सकता है।

59. **साधारण बैठक का अध्यक्ष** :- निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को प्रत्येक साधारण बैठक में सभापतित्व करने का हक होगा और यदि कोई अध्यक्ष न हो या यदि अध्यक्ष बैठक के लिए नियत समय से पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित न हो, या अध्यक्ष सभापति के रूप में काम करने का अनिच्छुक हो तो उपस्थित सदस्य किसी निदेशक को अध्यक्ष चुन लेंगें और यदि कोई निदेशक उपस्थित न हो या यदि उपस्थित निदेशक सभापति बनने से इंकार करें तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को सभापति चुन लेंगे।

60. **कोरम पूरा न होने पर कब बैठक भंग करनी चाहिए और कब स्थगित करनी चाहिए** :- बैठक के लिए निर्धारित समय के पन्द्रह मिनट के अंदर यदि कोरम उपस्थित न हो तो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सदस्यों की मांग के अनुसार बुलाई गई बैठक भंग कर दी जाएगी, परंतु अन्य किसी मामले में बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, यदि वह दिन सार्वजनिक छुट्टी न हो, (यदि वह दिन सार्वजनिक छुट्टी का दिन हो तो बैठक उससे अगले दिन के लिए स्थगित की जाएगी) उसी समय और स्थान पर फिर से बुलाने के लिए स्थगित कर दी जाएगी और इस प्रकार स्थगित बैठक में भी कोरम पूरा न हो तो उपस्थित सदस्यों को ही कोरम समझा जाएगा और बैठक में उपस्थित सदस्य उस कार्य का संचालन करेंगे जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी।

61. **बैठकों में प्रश्नों का निर्णय कैसे किया जाए** :- बैठक में विचारार्थ प्रश्नों का निर्णय पहले हाथ उठा कर किया जाएगा और मतों के समान होने पर अध्यक्ष, हाथ उठाकर और मत - पत्रों के द्वारा मतदान (यदि कोई हो तो) दोनों ही स्थितियों में, सदस्य के रूप में अपना मत या अपना अतिरिक्त निर्णायक मत दे सकेगा।

62. **मतदान की मांग न किए जाने पर संकल्प पारित किए जाने का प्रमाण क्या होगा** :- किसी भी साधारण बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत संकल्प पर हाथ उठा कर निर्णय किया जाएगा, यदि हाथ उठा कर किए गए निर्णय से पहले या बाद में किसी व्यक्ति या परोक्षी या समुचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मत-पत्र के जरिए मतदान की मांग न की गई हो और जब तक इस प्रकार के मतदान की मांग न की जाए तब तक हाथ उठा कर या सर्वसम्मति से या विशेष बहुमत से स्वीकृत या अस्वीकृत किए गए संकल्प और संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अंकित मतदान की संख्या और अनुपात के प्रमाण के बिना कंपनी की कार्यवाही पुस्तिका में अध्यक्ष द्वारा किया गया तत्संबंधी इंदराज निर्णायक प्रमाण होगा।

63. **मतदान** :- यदि मतदान की विधिवत मांग की जाती है तो मतदान ऐसी विधि से और ऐसे समय और स्थान पर होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 179 और 180 में निर्धारित है।

64. **साधारण बैठक स्थगित करने की शक्ति** :- साधारण बैठक का अध्यक्ष बैठक में उपस्थित सदस्यों की सहमति से बैठक को अन्य समय और अन्य स्थान के लिए स्थगित कर सकता है, परंतु स्थगित बैठक में उस कार्य से भिन्न कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकेगा, जिस कार्य को स्थगित बैठक में अधूरा छोड़ा गया था।

65. **किन मामलों में स्थगन के बिना मतदान होगा** :- बैठक के लिए अध्यक्ष के चुनाव या स्थगन के किसी प्रश्न पर यदि मतदान के लिए विधिवत मांग की गई है तो मतदान बैठक में और स्थगन के बिना होगा।

66. **मतदान की मांग किए जाने पर भी कार्यक्रम जारी रखा जा सकता है** :- बैठक में जिस प्रश्न पर मतदान की मांग की

66. **Business may proceed notwithstanding demand of poll:-** The demand of a poll shall not prevent the continuation of a meeting for the transaction of any business other than the question on which a poll has been demanded.

67. **Chairman's decision conclusive :-** The Chairman of any meeting shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such meeting, The Chairman present at the taking of a poll shall be sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

68. **Votes of members :-** Upon a show of hands every member present in person shall have one vote, and upon a poll every member present in person or by proxy or by duly authorised representative shall have one vote for every share held by him.

69. **No voting by proxy on show of hands :-** No member not personally present shall be entitled to vote on a show of hands.

70. **Votes in respect of shares of deceased and bankrupt members :-** Any person entitled under the transmission clause to any shares may vote at any general meeting in respect thereof in the same manner as if he were the registered holder of such shares, provided that seventy-two hours at least before the time of holding the meeting or adjourned meeting as the case may be at which he proposes to vote, he shall satisfy the Directors of his right to transfer such shares, unless the Directors shall have previously admitted his right to such shares or his right to vote at such meeting in respect thereof.

71. **Joint-holders :-** Where there are joint registered holders of any share, any one of such persons may vote at any meeting either personally or by proxy, in respect of such shares as if he were solely entitled thereto, and if more than one of such joint-holders be present at any meeting personally or by proxy, then one of the said persons present whose name stands first in the register in respect of such share shall alone be entitled to vote in respect thereof. Several executors or administrators of a deceased member in whose name any share stands shall for the purposes of this clause be deemed joint-holder thereof.

72. **Votes in respect of shares of members of unsound mind :-** A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by a court having jurisdiction in lunacy, may vote whether on a show of hands or on poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.

73. **Proxies permitted :-** On a poll, votes may be given either personally or by proxy or by duly authorised representative.

74. **Instrument appointing proxy to be in writing :-** The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney, or if such appointer is a Corporation or the head of a State Government under its common seal or other authority. Subject to the provisions of Article 58 (2), no person shall be appointed a proxy who is not a member of the Company and qualified to vote, save that a Corporation or the head of State Government being a member of the Company may appoint as its proxy one of its officers though not a member of the Company.

गई है, उसे छोड़कर अन्य किसी कार्य के संचालन के लिए बैठक को जारी रखने में मतदान की वह मांग बाधक नहीं होगी।

67. **अध्यक्ष का निर्णय निर्णायक** :- किसी भी बैठक का अध्यक्ष ऐसी बैठक में दिए गए प्रत्येक मतदान की विधिमान्यता के बारे में एकमात्र निर्णायक होगा। मतदान के समय उपस्थित अध्यक्ष ऐसे मतदान पर दिए गए प्रत्येक मत की विधिमान्यता के संबंध में एकमात्र निर्णायक होगा।

68. **सदस्यों के मत** :- हाथ उठाकर मत प्रकट करने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और मत-पत्र द्वारा मतदान होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य या परोक्षी या विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि का उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।

69. **हाथ उठाकर मत प्रकट करने की स्थिति में परोक्षी मत नहीं दे सकेगा** :- जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है, वह हाथ उठाकर मत प्रकट किए जाने की स्थिति में मत प्रकट करने का हकदार नहीं होगा।

70. **मृत और दिवालिया सदस्यों के शेयरों संबंधी मत** :- प्रेषण खंड के अंतर्गत, शेयरों का हकदार कोई भी व्यक्ति उस संबंध में किसी साधारण बैठक में उसी तरीके से वैसे ही मत दे सकता है जैसे ऐसे शेयरों का पंजीकृत धारक दे सकता है, बशर्ते उस बैठक या स्थगित बैठक, जैसी भी स्थिति हो, के आयोजन से कम से कम 72 घंटे पहले, जिसमें वह मत देने का प्रस्ताव करता है, वह निदेशकों को शेयरों पर अपने अधिकार के संबंध में संतुष्ट करें जब तक कि निदेशक पहले से ऐसे शेयरों के संबंध में उसका अधिकार मान लें या इस संबंध में ऐसी बैठक में उसके मत देने के अधिकार को मान लें।

71. **संयुक्त-धारक** :- यदि किसी शेयर के संयुक्त पंजीकृत धारक हों तो ऐसे शेयरों के संबध में ऐसे व्यक्तियों मे से कोई एक व्यक्ति बैठक में उसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के रूप में मत दे सकता है जैसे कि वह उसका एकमात्र हकदार हो और यदि ऐसे संयुक्त धारकों में से एकाधिक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के रूप में उपस्थित हो तो उन उपस्थित व्यक्तियों में उस संबंध में वह व्यक्ति मत देने का हकदार होगा जिसका नाम शेयरों के संबंध में रजिस्टर में वह सर्वप्रथम होगा। यदि कोई शेयर किसी मृतक के नाम से है तो इस खंड के प्रयोजन से उसके कई निष्पादकों या प्रशासकों को संयुक्त धारक माना जाएगा।

72. **विकृत-चित्त के सदस्यों के शेयरों के संबंध में मत** :- किसी विकृत चित्त के सदस्य या जिसके बारे में पागलपन के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने आदेश दिया हो, ऐसे सदस्य का सुपुर्ददार या कानूनी संरक्षक हाथ उठाकर या मत-पत्र द्वारा मतदान के समय परोक्षी मत दे सकता है।

73. **परोक्षियों की अनुमति** :- मत-पत्र द्वारा मतदान के समय मत व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा या विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जा सकता है।

74. **परोक्षी का नियुक्ति-प्रपत्र लिखित रूप से होना चाहिए** :- परोक्षी का नियुक्ति-प्रपत्र लिखित रूप में होना चाहिए और नियोक्ता, अथवा उसके अटार्नी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए अथवा यदि नियोक्ता किसी निगम या किसी राज्य सरकार का प्रधान हो तो उक्त प्रपत्र उसकी मोहर सहित या अन्य प्राधिकार से जारी किया जाना चाहिए। अंतर्नियम 58 (2) के उपबंधो के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कंपनी का सदस्य और मत देने का हकदार न हो परंतु किसी निगम या राज्य सरकार का प्रधान यदि यदि कंपनी का सदस्य है तो वह अपने ऐसे अधिकारी को भी परोक्षी के रूप में नियुक्त कर सकता है जो कंपनी का सदस्य नहीं है।

75. **परोक्षी की नियुक्ति का प्रपत्र कार्यालय में दिया जाना चाहिए** :- परोक्षी की नियुक्ति का प्रपत्र और अटार्नी या अन्य

75. **Instrument appointing proxy to be deposited at office :-** The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of that power or authority, shall be deposited at the Registered Office of the Company not less than twenty-four hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.

76. **When vote by proxy valid though authority revoked :-** A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the Principal, or revocation of the proxy, provided no intimation in writing of the death or revocation shall have been received at the office of the Company, before the meeting.

77. **Form of Proxy :-** An instrument appointing a proxy may be in the following form, or in any other form, which the Directors shall approve:- .....Company Ltd.

"I.....of.....in the district of.....being a member of the ..... Company Limited. hereby appoint.....of.....as my proxy to vote for me and on my behalf at the (ordinary or extra ordinary, as the case may be) general meeting of the Company to be held on the .....day of.....and at any adjournment.....thereof".

Signed this.....day of.....

78. **No member entitled to vote etc. while call due to Company :-** No member shall be entitled to be present or to vote on any question either personally or by proxy, or as proxy for another member, at any general meeting or upon a poll or be reckoned in a quorum whilst any call or other sum shall be due and payable to the Company in respect of any of the shares of such member.

79. **Time for objection to vote:-** No objection shall be made to the validity of any vote except at the meeting or poll at which such vote shall be tendered, and every vote whether given personally or by proxy, not disallowed at such meeting or poll, shall be deemed valid for all purposes of such meeting or poll whatsoever.

[1]80. **Number of Directors :-** the Company in a general meeting shall, by an ordinary resolution, increase or decrease the number of its Directors, such number being not less than two and not more than twenty. The Directors are not required to hold any qualification shares.

[@][2]81. **Appointment of Directors :-** (1) the President shall have the right to appoint Directors. But while making appointment, consideration will be given for giving representation to the Central/ State Governments/other interests as under :-

(a) **Government (Part-Time Directors) :-** Not more than one[3] Directors may be nominated to represent the Government.

---

1. Special Resolution passed on 24.03.1961

@ (****) The words 'the National Thermal Power Corporation Ltd. or 'deleted by Special Resolution passed on 10.04.1990.

2. Special Resolution passed on 22.05.1995

3. Special Resolution passed on 31.12.2008

प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो तो) जिस के अंतर्गत उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या नोटरी द्वारा प्रमाणित शक्ति या प्राधिकार की प्रति, उस बैठक के आयोजन के कम से कम चौबीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दी जानी चाहिए, जिसमें कि प्रपत्र में प्रस्तावित व्यक्ति को मत देना है और इस संबंध में चूक होने पर परोक्षी प्रपत्र विधिमान्य नहीं होगा।

76. **प्राधिकार रद्द होने पर भी परोक्षी द्वारा दिया गया मत विधिमान्य होगा :-** प्रधान की मृत्यु होने अथवा परोक्षी के रद्द होने के बावजूद, परोक्षी के प्रपत्र की शर्तों के अनुसार दिया गया मत विधिमान्य होगा बशर्ते कि मृत्यु या रद्द करने की लिखित सूचना बैठक के प्रारंभ होने से पहले कंपनी के कार्यालय में प्राप्त हो जाए।

77. **परोक्षी का फार्म :-** परोक्षी की नियुक्ति का प्रपत्र निम्नलिखित फार्म में या निदेशक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य फार्म में हो सकता है :

———————————कंपनी लिमिटेड,

"मैं————————, ——————————जिले-----------------------का------------------------ निवासी ——————————कंपनी लिमिटेड का सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा श्री ——————————, स्थान ——————— के निवासी को अपने लिए और अपनी ओर से तारीख ——————————को आयोजित होने वाली कंपनी की साधारण बैठक (सामान्य या असामान्य/जैसी भी स्थिति हो) में और उसकी किसी स्थगित बैठक में मत देने लिए परोक्षी नियुक्त करता हूँ।

तारीख --------------को हस्ताक्षर किये।

78. **कंपनी द्वारा मांगी गई राशि यदि देय हो तो सदस्य मत इत्यादि देने का हकदार नहीं होगा :-** जब किसी सदस्य को धारित किए गए कंपनी के शेयरों में से किसी शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा मांगी गई राशि या अन्य किसी देय राशि का भुगतान करना बाकी हो तो वह सदस्य व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के माध्यम से या किसी दूसरे सदस्य के लिए परोक्षी के रूप में किसी साधारण बैठक में उपस्थित होने या मतदान के समय मत देने और कोरम में गिने जाने का हकदार नहीं होगा।

79. **मत देने के संबंध में आपत्ति का समय :-** जिस बैठक या मतदान में मत दिया जाना है उस के सिवाय अन्य किसी भी समय किसी मत की विधिमान्यता पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी, और व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा दिया गया कोई मत, यदि ऐसी बैठक में या मतदान के समय अस्वीकृत न हुआ हो तो उसे ऐसी बैठक या मतदान, जैसी भी स्थिति हो, के प्रयोजनों से विधिमान्य समझा जाएगा।

[1]80. **निदेशकों की संख्या :-** कंपनी की साधारण बैठक में सामान्य संकल्प के द्वारा निदेशकों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यह संख्या दो से कम और बीस से अधिक नहीं होगी। निदेशक होने के लिए किसी निश्चित संख्या में शेयर रखना अपेक्षित नहीं है।

@[2]81. **निदेशकों की नियुक्ति :-** (1) राष्ट्रपति को निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। किंतु नियुक्ति करते समय केन्द्र/राज्य सरकारों/अन्य इच्छुक व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर निम्नानुसार ध्यान दिया जाएगा :-

(क) सरकार (अंशकालिक निदेशक) :- सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक[3] से अधिक निदेशकों की नियुक्ति न की जाए।

---

1. तारीख 24.03.1961 को पारित विशेष संकल्प

@. तारीख 10.04.1990 को पारित विशेष संकल्प द्वारा शब्द 'नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड' को हटा दिया गया।

2. ता. 22.05.1995 को पारित विशेष संकल्प

3. ता. 31.12.2008 को पारित विशेष संकल्प

(b) **Full-Time Directors :-** Besides one full time Chairman & Managing Director, two more full time Directors of whom one will be Director (Engineering) and one Director (Finance) may be appointed by the President.

(c) **Non-Official Directors (Part-Time) :-** The President may also appoint not more than three Directors from a panel of eminent experts.

(2) The Directors appointed by the President shall hold office until removed by him (the power of removal of Directors being in the absolute discretion of President) and in the event of such removal or the event of any vacancy in the office of the Directors so nominated by resignation, death or otherwise, the President shall be entitled to appoint other Directors in their places.

(3) The Directors shall be paid such salary and/or allowances as the President may, from time to time, determine.

[1](4) The President may also appoint a part-time Chairman and a full time Managing Director in place of Chairman7 & Managing Director. In such a case, the words 'Chairman & Managing Director' wherever appear shall be read as 'Managing Director'. This clause comes into effect form 01.08.1989.

81-A (Deleted)

82. General power of Company vested in Directors :- (1) subject to the provisions of Section 291 of the Act, the Board of Directors of the Company shall be entitled to exercise all such powers, and to do all such acts and things, as the Company is authorised to exercise and do; provided that the Board shall not exercise any power or do any act or thing which is directed or required, whether by the Act or any other Act or by the Memorandum or Articles of the Company or otherwise to be exercised or done by the Company in general meeting.

Provided further that in exercising any such power or doing any such act or thing, the Board shall be subject to the provisions contained in that behalf in the Act or any other Act or in the Memorandum or Articles of the Company, or in any regulations not inconsistent therewith and duly made thereunder, including regulations made by the Company in general meeting.

(2) No regulation made by the Company in general meeting shall invalidate any prior act of the Board which would have been valid if that regulation had not been made.

83. Specific powers to Directors :- Without prejudice to the general powers conferred by the last preceding Articles, and the other powers conferred by these Articles, the Directors shall have the following powers, that is to say power :-

(1) *To acquire property :-* To purchase, take, on lease or otherwise acquire for the Company, property, rights or privileges which the Company is authorised to acquire at such price, and generally on such terms and conditions as they think fit.

[2](2) *Works of Capital nature :-*To authorise the undertaking of works of capital nature, subject to the condition that all cases involving a capital expenditure exceeding Rs.15 lakhs shall be referred to the President for approval before authorisation. Provided that within any financial year the funds required will be found within the budget allocation for the project.

---

1. Special Resolution passed on 10.04.1990
2. Special Resolution passed on 27.4.1970

(ख) **पूर्णकालिक निदेशक :-** राष्ट्रपति एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त दो पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकते हैं जिनमें से एक निदेशक (इंजीनियरी) और एक निदेशक (वित्त) होगा।

(ग) **गैर-सरकारी निदेशक (अंशकालिक) :-** राष्ट्रपति प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के पैनल में से अधिकतम तीन निदेशकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं।

(2) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए निदेशक तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक राष्ट्रपति उन्हें हटा नहीं देते। निदेशकों को हटाने का पूर्ण विवेकाधिकार राष्ट्रपति के पास है और इस प्रकार हटाने के अथवा त्याग-पत्र, मृत्यु या अन्य कारण से इस प्रकार नामित निदेशकों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उन स्थानों पर अन्य निदेशक नियुक्त कर सकते हैं।

(3) निदेशकों को ऐसे वेतन और/भत्ते दिए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति, समय-समय पर निर्धारित करें।

[1](4) राष्ट्रपति अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के स्थान पर एक अल्पकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भी कर सकता है। ऐसे मामले में, "अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक" शब्द जहां भी आता हो उसे "प्रबंध निदेशक" के रूप में पढ़ा जाएगा। यह खंड तारीख 01.08.1989 से लागू हुआ।

81. क.-(विलोपित)

82. **निदेशकों को प्राप्त कंपनी की सामान्य शक्ति :-** (1) अधिनियम की धारा 291 के उपबंधों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक बोर्ड ऐसी सभी शक्तियों को प्रयोग करने का हकदार होगा और ऐसे सभी कार्य/कार्यवाहियाँ कर सकेगा जिन का प्रयोग करने या जिन्हें करने के लिए कंपनी अधिकृत है, परंतु बोर्ड ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिन्हें करने का निदेश या अपेक्षा अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम या कंपनी के ज्ञापन-पत्र और अंतर्नियमावली या अन्यथा के अंतर्गत कंपनी की साधारण बैठक में न की गई हो।

यह भी शर्त है कि बोर्ड ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्यवाही करते समय इससे संबंधित अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम या कंपनी की अंतर्नियमावली और ज्ञापन या उससे संगत और विधिवत रूप से उसके अंतर्गत बनाए गए ऐसे विनियमों में विहित उपबंधों का पालन करेगा जिनमें कंपनी द्वारा साधारण बैठक में बनाए गए विनियम शामिल होंगे।

(2) कंपनी द्वारा साधारण बैठक में बनाया गया ऐसा कोई विनियम, कंपनी के किसी पूर्ववर्ती विनियम को अविधिमान्य नहीं करेगा जो कि उस विनियम के न बनाए जाने की स्थिति में विधिमान्य होता।

83. **निदेशकों की विशिष्ट शक्तियाँ :-** पिछले पूर्ववर्ती अंतर्नियम द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों और इन अंतर्नियमों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी :-

(1) **संपत्ति अर्जित करना :-** कंपनी के लिए ऐसे मूल्य और सामान्यतः ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जिसे वे उचित समझे, संपत्ति, अधिकार और विशेषाधिकार अर्जित करना, क्रय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना, जिनके लिए कंपनी प्राधिकृत है।

[2](2) **पूँजीगत स्वरूप के निर्माण कार्य :-** पूँजीगत स्वरूप के निर्माण कार्यों के व्यवसाय को प्राधिकृत करना बशर्ते कि 15 लाख रूपए से अधिक पूँजी वाले सभी मामलों के संबंध में प्राधिकार देने से पहले अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। परंतु किसी वित्त वर्ष में इस प्रयोजन से व्यय की जाने वाली निधियाँ परियोजना के लिए आबंटित बजट की सीमा में होनी चाहिए।

---

1. तारीख 10.04.1990 को पारित विशेष संकल्प
2. तारीख 27.04.1970 को पारित विशेष संकल्प

(3) *To pay for property in debenture etc* :- To pay for any property, rights, or privileges acquired by, or services rendered to the Company either wholly or partially in cash or in shares, bonds, debentures or other securities of the Company, and any such shares, may be issued either as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon, and any such bonds, debentures or other securties may be either specifically charged upon all or any part of the property of the Company and its uncalled capital or not so charged.

(4) *To secure contracts by mortgage* :- Subject to provisions of Section 292 of the Act to secure the fulfillment of any contracts or engagement entered into by the Company by mortgage or charge of all or any of the property of the Company and its uncalled capital for the time being or in such other manner as they may think fit.

[1,2](5) *To create post and appoint Officers etc.* :- To create all posts below the Board level irrespective of pay and to appoint, and at their discretion, remove or suspend such managers, secretaries, officers, clerks, agents and servants and foreign technical personnel, for permanent, temporary or special services, as they may, from time to time think fit, and to determine their powers and duties and fix their salaries or emoluments and to require security in such instance and to such amount as they may think fit, provided that no appointments in the higher categories of posts (where pay including pension and pensionary equivalent of retirement benefits, proposed to be fixed exceeds Rs.5,700/- per mensum or where the minimum of pay scales proposed to be given is Rs.5,700/- or more) of persons who have already attained the age of 58 years and considered for appointment in view of good competence and experience whether they be from Public or Private Sector, shall be made without the prior approval of President. Provided further that in the matter of selection of persons for appointment to the posts of Financial Advisers, the assistance of the Government may be obtained.

(6) *To appoint trustees* :- To appoint any person or persons (whether incorporated or not) to accept and hold in trust for the Company, any property belonging to the Company or in which it is interested or for any other purposes, and to execute and do all such deeds and things as may be requisite in relation to any such trust and to provide for the remuneration of such trustee or trustees.

(7) *To bring and defend action etc,* :- To institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers, or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demands by or against the Company.

(8) *To refer to arbitration* :- To refer any claims or demands by or against the Company to arbitration, and observe and perform the awards.

(9) *To give receipt* :- To make and give receipts, releases, and other discharges for money payable to the Company, and for the claims and demands of the Company.

---

1. Special Resolution passed on 24.3.1969 and 21.11.1969
2. Special Resolution passed on 4.2.1994

(3) **डिबेंचर आदि के रूप में संपत्ति के लिए भुगतान करना :-** कंपनी द्वारा संपत्ति अधिकारों और विशेषाधिकारों के अर्जन या कंपनी के लिए की गई सेवा के लिए पूर्णतः या अंशतः नकद या कंपनी के शेयरों, बांडों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में भुगतान करना और पूर्णतः प्रदत्त शेयर जारी करना या उन पर ऐसी राशि सहित जमा करना जिसे प्रदत्त राशि के रूप में जमा किया गया हो और जिस पर सहमति हुई हो और ऐसे बांड, डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियां या तो विशेष रूप से कंपनी की समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग पर और इसकी अनमांगी पूँजी पर प्रभारित होंगी या इस प्रकार प्रभारित नहीं होंगी।

(4) **बंधक द्वारा संविदा पूरा करना :-** अधिनियम की धारा 292 के उपबंधों के अंतर्गत कंपनी द्वारा बंधक या प्रभार या कंपनी की समस्त या किसी संपत्ति और इसकी तत्समय अनमांगी पूँजी या अन्य किसी राशि से, जैसे वे उचित समझे, किन्ही संविदाओं या वचन-बंधों का पूरा करना।

[2,1](5) **पद सृजित करना और अधिकारी आदि नियुक्त करना :-** वेतन पर ध्यान दिए बगैर बोर्ड के स्तर से नीचे के सभी पद सृजित करना, और अपने विवेकानुसार, जैसे वे उचित समझें समय-समय पर ऐसे प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों लिपिकों, ऐजेंटों, और कर्मचारियों विदेशी तकनीकी कर्मियों को स्थायी, अस्थायी अथवा विशेष सेवाओं के लिए नियुक्त करना, हटाना और निलंबित करना और उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य निर्धारित करना और उनके वेतन और परिलब्धियाँ निश्चित करना और यथोचित मामलों में जमानत राशि निर्धारित करना। किंतु राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के बिना उच्च संवर्ग के पदों (जहाँ पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन लाभों सहित वेतन 5700 रू. प्रतिमाह से अधिक निश्चित करने का प्रस्ताव हो अथवा जहाँ न्यूनतम वेतनमान 5700 रूपए या अधिक दिए जाने का प्रस्ताव हो) में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी जिन्होंने पहले भी 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिनकी नियुक्ति पर विचार उनकी अच्छी योग्यता और अनुभव, भले ही सार्वजनिक भत्ते के हो या निजी क्षेत्र के, ध्यान में रखकर किया गया है और यह भी कि वित्त सलाहकार के पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन के मामले में सरकार की सहायता ली जाएगी।

(6) **न्यासी नियुक्त करना :-** कंपनी की किसी संपत्ति या जिसमें कंपनी का हित हो या अन्य किसी प्रयोजन से कंपनी के लिए न्यास स्वीकार करने तथा नियंत्रण रखने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (भले ही कंपनी में शामिल हो या नही) को नियुक्त करना और ऐसे किसी न्यास के संबंध में ऐसे सभी विलेख व कार्य निष्पादित करना जो इस न्यास के संबंध में करने अपेक्षित हों, और इन न्यासी या न्यासियों को पारिश्रमिक प्रदान करना।

(7) **कार्रवाई करना और रोकना, आदि :-** कंपनी या इसके अधिकारियों, या कंपनी के कार्यों से संबद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा या उन के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाहियाँ प्रारंभ करना, संचालन करना, रोकना, प्रशमन करना अथवा परित्याग करना, और कंपनी द्वारा या इसके विरूद्ध किए जाने वाले किसी दावे या मांग के बारे में समझौता करना और भुगतान अथवा शोधन के लिए समय प्रदान करना।

(8) **माध्यस्थम को भेजना :-** कंपनी द्वारा किए जाने वाले या इसके विरूद्ध किए जाने वाले किसी दावे या मांग माध्यस्थम को भेजना, और अधिनिर्णय को पालन और निष्पादन करना।

(9) **रसीद देना :-** कंपनी को देय धनराशि के लिए, और कंपनी के दावों और मांगों के लिए रसीद देना, निर्गम, और अन्य भुगतान तैयार करना और देना।

---

1. तारीख 24.03.1969 और 21.11.1969 को पारित विशेष संकल्प
2. तारीख 4.02.1994 को पारित विशेष संकल्प

(10) *To authorise acceptance etc :-* To determine who shall be entitled to sign on the Company's behalf, bills, notes, receipts, acceptances, endorsements, cheques, releases, contracts and other documents.

(11) *To appoint attorneys :-* From time to time provide for the management of the affairs of the Company in such manners they think fit and in particular to appoint any person to be the attorneys or agents of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and upon such terms as may be thought fit.

(12) *To invest moneys :-* Subject to the provisions of Section 292 of the Act to invest in the Reserve Bank of India or in such securities as may be approved by the President and deal with any of the moneys of the Company upon such investments authorised by Memorandum of Association of the Company (not being shares in this company) and in such manners as they think fit, and from time to time to vary or realise such investments.

(13) *To give security by way of indemnity :-* To execute in the name and on behalf of the Company in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any liability for the benefit of the Company such mortgages of the Company's property (present and future) as they think fit and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants, and provisions as shall be agreed on.

(14) *To give percentages :-* Subject to the approval of the President, to give to any person employed by the Company a commission on the profits of any particular business transaction, or a share in the general profits of the Company , and such commission share of profits shall be treated as part of the working expenses of the Company.

(15) *To make bye-laws :-* From time to time make, vary and repeal bye-laws for the regulation of the business of the Company, its officers and servants.

(16) *To give bonus :-* To give, award or allow any bonus, pension, gratuity or compensation to any employee of the Company, or his widow, children or dependants, that may appear to the Directors just or proper, whether such employee, his widow, children, or dependants have or have not a legal claim upon the Company.

(17) *To create provident Fund :-* Before declaring any dividend and subject to the approval of the President to set aside such portion of the profits of the Company as they may think fit, to form a fund to provide for such pensions gratituities or compensations or to create any provident or benefit fund in such manner as the Directors may deem fit.

(18) *To establish Local Board :-* From time to time and at any time to establish any Local Board for managing any of the affairs of the Company in any specified locality in India, or out of India and to appoint any persons to be members of such Local Board and to fix their remuneration and from time to time and at any time to delegate to any person so appointed any of the powers authorities and discretion for the time being vested in the Directors other than their power to make calls, and to authorise the members for the time being of any such Local Board or any of them to fill up any vacancies therein and to act not withstanding vacancies and any such appointment or delegation may be made in such terms and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may at any time remove any person so appointed and may annul or vary any such delegation.

(10) **स्वीकृति इत्यादि के लिए प्राधिकृत करना :-** यह निर्धारित करना कि बिल नोट, रसीद, स्वीकृति, बेचान, चैक, निर्गम, संविदा और अन्य प्रलेखों पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने का हकदार कौन होगा।

(11) **अटार्नी नियुक्त करना :-** समय-समय पर कंपनी के कार्यो के प्रबंधन के लिए, जैसा वे उचित समझें उस तरीके से और शक्तियों सहित (उप-प्रत्यायोजन की शक्ति भी शामिल है) और ऐसी शर्तों पर, जैसा उचित समझा जाए, विशेषतः किसी व्यक्ति को कंपनी का अटार्नी या एजेंट नियुक्त करना।

(12) **धन निवेश करना :-** अधिनियम की धारा 292 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में, या ऐसी प्रतिभूतियों में, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाए, धन निवेश करना और कंपनी के संस्था ज्ञापन द्वारा प्राधिकृत ऐसे निवेशों पर कंपनी की किन्हीं धन राशियों (जो इस कंपनी के शेयर न हो) का इस तरीके से लेन-देन करना जैसा कि वे उचित समझें, और समय-समय पर ऐसे निवेशों को बदलना और वसूल करना।

(13) **क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिभूति देना :-** कंपनी के नाम से या उसकी ओर से किसी निदेशक या अन्य व्यक्ति, जो कंपनी के लाभ के लिए कोई जिम्मेदारी ले सकता है या लेने वाला है, के पक्ष में कंपनी की संपत्ति (वर्तमान और भावी) को बंधक रखना जैसा कि वे उचित समझे और ऐसे किसी बंधक में विक्रय करने की शक्ति और ऐसी अन्य शक्तियाँ, प्रसंविदा और उपबंध शामिल हो सकते हैं, जैसी कि सहमति हो।

(14) **लाभ का प्रतिशत देना :-** राष्ट्रपति के अनुमोदन से, कंपनी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को किसी विशेष कारोबार संबंधी लेन-देन के लाभ में कमीशन या कंपनी के सामान्य लाभ में हिस्सा देना, और लाभ का ऐसा कमीशन का हिस्सा कंपनी के कार्य-चालन व्यय का भाग माना जाएगा।

(15) **उप-विधियां बनाना :-** कंपनी के कारोबार, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियमन के लिए समय-समय पर उप विधियां बनाना, उनमें परिवर्तन करना और निरसित करना।

(16) **बोनस देना :-** कंपनी के कर्मचारी, उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों को कोई ऐसा बोनस, पेंशन, उपदान या मुआवजा देना, प्रदान करना या मंजूर करना जैसा कि निदेशक संगत और उचित समझे, भले ही ऐसे कर्मचारी, उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों के वैध दावे कंपनी पर हों या न हों।

(17) **भविष्य निधि बनाना :-** किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व और राष्ट्रपति के अनुमोदन के अंतर्गत कंपनी के लाभ के किसी भाग को निधि के रूप में अलग रखना जैसा कि वे उचित समझें ताकि इससे पेंशन उपदान, या क्षतिपूर्ति के लिए निधि का सृजन या भविष्य या हित निधि का सृजन उस रूप में किया जा सके जैसा कि निदेशक उचित समझें।

(18) **स्थानीय बोर्ड स्थापित करना :-** भारत में या भारत के बाहर, किसी विशेष इलाके में कंपनीके किन्ही कार्यो का प्रबंध करने के लिए समय-समय पर और किसी समय स्थानीय बोर्ड की स्थापना करना, और ऐसे स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में किन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और समय-समय पर और किसी भी समय इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को पूँजीगत राशि की मांग किए जाने संबधी शक्ति को छोड़कर तत्समय निदेशकों में निहित शक्तियाँ प्राधिकार और विशेषाधिकार प्रत्यायोजित करना, और किसी ऐसे स्थानीय बोर्ड के सदस्यों या उनमें से किसी को अस्थायी रूप से वहां विद्यमान रिक्तियों को भरने और रिक्तियों के न होते हुए भी कार्य करने का प्राधिकार देना और ऐसी किसी नियुक्ति या प्रत्यायोजन ऐसे निबंधन और शर्तों पर किया जाएगा जैसा कि निदेशक उचित समझें, और निदेशक किसी भी समय इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को पद से हटा सकते हैं और ऐसे किसी प्रत्यायोजन को रद्द या परिवर्तित कर सकते हैं।

[1](19) *To make contracts etc.* :- To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts, and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for or in relation to any of the matter aforesaid or otherwise for the purpose of the Company. Provided that agreements involving foreign collaboration proposed to be entered into by the Corporation and purchases and contracts of major nature involving substantial capital outlay in excess of the powers vested in the Company, shall be submitted to the President for approval

(20) *To sub-delegate powers* :- Subject to the provisions of Section 292 of the Act, to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretion for the time being vested in them, subject, however, to the ultimate control and authority being retained by them.

(21) *To borrow moneys* :- Subject to the approval of the President to borrow moneys on behalf of the Company; and

(22) *To execute mortgages* :- To execute, mortgage and charges on its properties.

[2](23) *Training of Personal, Research & Consultancy and Sales Promotion* :-

(a) To set up training programmes of personnel at various levels;

(b) To set up Research and Consultancy in the field of construction of River Valley Projects and other allied works as enumerated in detail in the Memorandum and Articles of Association;

(c) Sales Promotion.

[3](24) *Setting up an effective machinery for the speedy disposal of grievances etc:-* To set up an effective machinery for the speedy disposal of grievances and complaints pertaining to maladministration and abuse of authority by officers subordinate to the Corporation.

[4]**84** (1) The President shall appoint one of the Directors to be the Managing Director who shall be a whole time employee of the Company or a Board of Management consisting of two or more Directors for the conduct or management of the business of the Company subject to the control and supervision of the Board of Directors. The Managing Director or the Board of Management so appointed may be authorised to exercise such powers and discretion in relation to the affairs of the Company as are specifically delegated to him/it by the Board and are not required to be done by the Board of Directors or the Company at the general meeting under the Act.

(2) The Managing Director shall be paid such salary and allowances as may be fixed by the President.

---

1. Special Resolution passed on 24.3.1969 and 27.4.1970
2. Special Resolution passed on 24.3.1969
3. Special Resolution passed on 24.3.1969
4. Special Resolution passed on 27/28.6.1962

[1](19) **संविदा इत्यादि तय करना** :- कंपनी के नाम से और कंपनी की ओर से ऐसे सभी समझौतों, बातचीत और संविदाओं में शामिल होना और ऐसी सब संविदाओं को निरस्त करना या परिवर्तित करना और ऐसे सभी कार्य करना जैसा कि वे कंपनी के प्रयोजन से उपर्युक्त या अन्य मामलों में से किसी के लिए या के संबध में समीचीन समझे बशर्ते निगम द्वारा तय किए जाने वाले उन प्रस्तावित करारों में जिनमें विदेशी सहायता शामिल है और जिन प्रमुख क्रय और ठेकों में, कंपनी को प्रदत्त शक्ति से अधिक पर्याप्त पूँजीगत परिव्यय शामिल है, उन मामलों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(20) **शक्ति उप-प्रत्यायोजित करना** :- अधिनियम की धारा 292 के अंतर्गत तत्समय उनमें निहित शक्तियों, प्राधिकारों और विशेषाधिकार में से सभी या किसी को उप-प्रत्यायोजित करना तथापि इनका अंतिम नियंत्रण और प्राधिकार वे अपने पास रखेंगे।

(21) **धन-राशि उधार लेना** :- राष्ट्रपति के अनुमोदन से कंपनी की ओर से धन-राशि उधार लेना; और

(22) **बंधकों का निष्पादन** :- कंपनी की संपत्ति पर बंधक और प्रभारों का निष्पादन।

[2](23) **कार्मिक, अनुसंधान और परामर्शी तथा विक्रय संवर्धन का प्रशिक्षण** :-

(क) विविध स्तरों पर कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना;

(ख) नदी घाटी परियोजनाओं और अन्य संबद्ध कार्यों के क्षेत्र में अनुसंधान और परामर्श सेवा स्थापित करना जैसा कि संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियमावली में उल्लेख किया गया है।

(ग) विक्रय संवर्धन।

[3](24) **शिकायतों इत्यादि के द्रुत निपटान के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना** :- निगम के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रशासन और प्राधिकारों के दुरूपयोग संबंधी शिकायतों के द्रुत निपटान के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना करना।

[4]84. (1) राष्ट्रपति कंपनी के कारोबार के संचालन और प्रबंधन के लिए निदेशकों में से किसी एक निदेशक को प्रबंध निदेशक नियुक्त करेंगे जो कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा अथवा दो या अधिक निदेशकों को शामिल करते हुए प्रबंधन बोर्ड का गठन करेंगे किंतु यह व्यवस्था निदेशक बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगी। इस प्रकार नियुक्त प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधन बोर्ड कंपनी कार्य से संबंधित ऐसी शक्तियों और विवेकाधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत होगा जिन्हे बोर्ड द्वारा उसे/इसे विशेष रूप से प्रत्यायोजित किया गया है और जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत साधारण बैठक में निदेशक बोर्ड अथवा कंपनी द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) प्रबंध निदेशक को राष्ट्रपति द्वारा यथा-निर्धारित वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

---

1. तारीख 24.3.1969 और 27.4.1970 को पारित विशेष संकल्प
2. तारीख 24.3.1969 को पारित विशेष संकल्प
3. तारीख 24.3.1969 को पारित विशेष संकल्प
4. तारीख 27/28.6.1962 को पारित विशेष संकल्प

85 **Directors to cause minutes to be made in books :-** The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose:

(a) of all appointments of officers made by the Directors;

(b) of the names of the Directors present at each meeting of Directors and of any committee of the Directors;

(c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company, and of the Directors and of the committee of the Directors; and every Director present at any meeting of Directors or committee of the Directors shall sign his name in a book to be kept for that purpose.

86 **Seal :-** The seal shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board of Directors and in the presence of one Director at the least.

87 **Disqualifications of Directors :-** A person shall not be capable of being appointed as a Director of the Company if he suffers from any of the disqualifications enumerated in Section 274 of the Act. The office of a Director shall be vacated, if any of the conditions set out in Section 283 of the Act comes to happen. This is without prejudice to the right of the President to remove any Director without assigning any reasons whatsoever.

88 **Meeting of Directors and quorum :-** The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they think fit and may determine the quorum in accordance with Section 287 of the Act, for the transaction of business.

89 **Director may summon meeting. How questions to be decided :-** A Director may at any time convene a meeting of the Directors. Questions arising at any meeting shall be decided by majority of votes. The Chairman shall have a second or casting vote. A meeting of the Board shall be held at least once in every 3 calendar months.

90 **Powers of quorum :-** A meeting of the Directors for the time being at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities, powers, and discretion by or under the Articles of the Company for the time being vested in or exercisable by the Directors generally.

91 **Chairman of Directors' meetings :-** The President may nominate a Director as Chariman of the Directors' meetings and determine the period for which he is to hold office. If no such Chairman is nominated, or if at any meeting the Chairman is not present within 15 minutes after the time for holding the same, the Directors present may choose one of their number to be the Chairman of the meeting.

92 **Delegation of powers to Committees :-** Subject to the Provision of Section 292, the Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit and may, from time to time, revoke such delegation. Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so deligated conform to any regulations that may from time to time, be imposed upon it by the Directors .

93 **Chairman of meeting of Committees :-** A Committee may elect a Chairman of their meetings but if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present whitin 15

85. **निदेशक पुस्तकों में कार्यवृत्त लिखवाएगें :-** निदेशक निम्न प्रयोजन से उपलब्ध पुस्तकों में कार्यवृत्त लिखवाएंगे :-

(क) निदेशक द्वारा की गई अधिकारियों की सभी नियुक्तियाँ;

(ख) निदेशकों की प्रत्येक बैठक और निदेशकों की किसी भी समिति में उपस्थित निदेशकों के नाम ;

(ग) कंपनी, और निदेशकों और निदेशकों की समिति की सभी बैठकों की कार्यवाहियाँ और संकल्प और निदेशकों या निदेशकों की समिति की किसी बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक उस प्रयोजन से रखी गई पुस्तक में हस्ताक्षर करेगा।

86. **मोहर :-** निदेशक बोर्ड के संकल्प के प्राधिकार के बिना किसी लिखित पर मोहर नहीं लगाई जाएगी और यह मोहर कम से कम एक निदेशक की उपस्थिति में लगाई जा सकेगी।

87. **निदेशकों की अयोग्यता :-** यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 274 में उल्लिखित अनहर्ताएँ रखता है तो वह कंपनी का निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि निदेशक में अधिनियम की धारा 283 में उल्लिखित अनहर्ता आ जाती है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बिना कारण बताए निदेशक को पद से हटाने के राष्ट्रपति के अधिकार पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

88. **निदेशकों की बैठक और कोरम :-** निदेशक कामकाज निपटाने, स्थगित करने या दूसरे ढंग से अपनी बैठकों और कार्यवाहियों का नियमन करने के लिए एकत्रित हो सकते हैं, जैसा वे उचित समझे और अधिनियम की धारा 287 के अनुसार कार्य संपन्न करने के लिए कोरम निर्धारित कर सकते हैं।

89. **निदेशक बैठक बुला सकता है, प्रश्नों का निर्णय कैसे किया जाय :-** कोई निदेशक किसी भी समय निदेशकों की बैठक बुला सकता है। बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर बहुमत से निर्णय होगा। अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

90. **कोरम की शक्ति :-** जिस समय कोरम पूरा हो, निदेशकों की बैठक कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा या उनके अंतर्गत उस समय निदेशकों में निहित या सामान्यतः उनके द्वारा प्रयोज्य सभी या किसी प्राधिकार, शक्ति, और विवेक प्रयोग करने में समर्थ होंगी।

91. **निदेशकों की बैठकों का अध्यक्ष :-** राष्ट्रपति किसी निदेशक को निदेशकों की बैठकों के अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है और उसकी कार्यकाल की अवधि कितनी होगी उसका निर्धारण कर सकता है। यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नामित नहीं किया जाता, अथवा यदि बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं होता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी को बैठक का अध्यक्ष चुन सकता है।

92. **समितियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन :-** धारा 292 के उपबंध के अंतर्गत निदेशक अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों की समिति को जैसे वे उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है और समय-समय पर ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकता है। इस प्रकार गठित समिति, इस प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, समय-समय पर निदेशकों द्वारा उस पर अधिरोपित किन्हीं विनियमों के अनुरूप करेगी।

93. **समितियों की बैठकों का अध्यक्ष :-** समिति अपनी बैठकों के लिए अध्यक्ष चुन सकती है। यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाता या बैठक के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट के अंदर अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं होता तो उपस्थित सदस्य

minutes after the time appointed for holding the same, the members present may choose one of their number to be Chairman of the meeting.

94 **When acts of Directors or Committee valid notwithstanding defective appointment, etc.:-** All acts done by any meeting of the Directors, or of a committee of Directors, or by any person acting as a Director, shall notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of such Directors or persons acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director.

95 **Resolution without Board Meeting valid :-** Subject to the provisions of Section 289 of the Act a resolution in writing signed by all the Directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors duly called and constituted.

[1]**95-A** The Chairman shall have power to reserve for the decision of the President any matter which in his opinion be so reserved.

96 **Reserve Fund:-** Subject to such directions as may, from time to time, be issued by the President in this behalf, the Directors may before recommending any dividend set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve fund, to meet contingencies or for equalising dividends, or for special dividends, or for repairing, improving and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes as the Directors shall in their absolute discretion think conducive to the interests of the Company, and may invest the several sums so set aside in such investments (other than shares of the Company) as they may think fit and may from time to time, deal with and vary such investments, and dispose of all or any part thereof for the benefit of the Company, and may divide the reserve funds into such special funds they think fit and employ the reserve funds or any part thereof in the business of the Company and that without being bound to keep the same separate from the other assets.

97. **Capitalisation of Profits :-** (1) The Company in general meeting may upon the recommendation of the Board resolve :-

(a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts, (or) to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution; and

(b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (2) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.

(2) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (3) either in or towards :-

(a) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively ;

(b) paying up in full, unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up, to and amongst such members in the proportions aforesaid ; or

---

1. Special Resolution passed on 27/28.6.1962

अपने में से किसी सदस्य को सभापति चुन सकते हैं।

94. **त्रुटिपूर्ण नियुक्ति, इत्यादि होने पर भी निदेशकों या समिति के कार्य कब विधिमान्य होंगे :-** निदेशकों या निदेशकों की समिति की किसी बैठक द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य उसी प्रकार विधिमान्य होंगे जैसे कि विधिवत रूप से नियुक्त या निदेशक के लिए अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य होते हैं, भले ही बाद में यह ज्ञात हो कि ऐसे निदेशक या उक्त कार्यकारी व्यक्ति की नियुक्ति त्रुटिपूर्ण थी या वे या उनमें से कोई अनर्ह था।

95. **बोर्ड की बैठक हुए बिना संकल्प की विधिमान्यता :-** अधिनियम की धारा 289 के उपबंधों के अंतर्गत सभी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संकल्प उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगा जैसा कि विधिवत रूप से बुलाई गई और गठित निदेशकों की बैठक में पारित किए जाने पर होता।

[1](क) अध्यक्ष के पास ऐसे किसी विषय को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित रखने का अधिकार होगा जो उसके विचार में आरक्षित किया जाना चाहिए।

96. **आरक्षित निधि :-** इस संबध में समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी निदेशों के अनुसार निदेशक किसी लाभांश की सिफारिश करने से पूर्व कंपनी के लाभ में से आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए या लाभांशों में एक-रूपता लानेके लिए या विशेष लाभांशों के लिए अथवा कंपनी की किसी संपत्ति की मरम्मत, सुधार और अनुरक्षण के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिसे वे अपने विवेकानुसार कंपनी के हित में उपयोगी समझते हैं, आरक्षित निधि के रूप में ऐसी धन राशि अलग रख सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझे, और इस प्रकार अलग रखी हुई धन राशियों को ऐसे निवेश में (कंपनी के शेयरों के अतिरिक्त) लगा सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझे, और वे समय-समय पर ऐसे निवेश कर सकते हैं और उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं और कंपनी के लाभ के लिए ऐसी सभी निवेशों या उसके किसी अंश का निपटान कर सकते हैं और वे आरक्षित निधि को ऐसी विशेष निधियों में विभाजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें और आरक्षित निधि या किसी अंश को अन्य परिसंपत्ति से अलग रखने के लिए बाध्य हुए बिना, कंपनी के कारोबार में लगा सकते हैं।

97. **लाभ का पूँजीकरण (1) :-** बोर्ड की सिफारिश पर कंपनी साधारण बैठक में यह संकल्प पारित कर सकती है कि :-

(क) तत्समय कंपनी के किसी आरक्षित लेखे में जमा, (या) लाभ और हानि लेखे में जमा या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध जमा राशि के किसी भाग का पूँजीकरण वांछनीय है; और

(ख) ऐसी राशि को यदि लाभांश के रूप में और उसी अनुपात में वितरित करना है तो खंड (2) में निर्धारित तरीके से उसके हकदार सदस्यों में वितरण के लिए तदनुसार जारी कर दिया जाए।

(2) उपर्युक्त राशि का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि खंड (3) में दिए गए उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में या उनके लिए लगाया जाएगा :-

(क) क्रमशः ऐसे सदस्यों द्वारा धारण किए गए शेयरों की तत्समय किसी अदत्त राशि को चुकता करने में ;

(ख) ऐसे सदस्यों के मध्य और उनमें उपर्युक्त अनुपात में कंपनी के जारी न किए गए शेयरों और डिबेंचरों को पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आबंटित और वितरित करने के लिए पूर्ण रूप से चुकता करने में; अथवा

---

1. तारीख 27/28.06.1962 को पारित विशेष संकल्प

(c) partly in the way specified in sub-clause (a) partly in that specified in sub-clause (b).

(3) A share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this regulation, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members to the Company as fully paid bonus shares.

(4) The Board shall give effect to the resolution passed by the Company in pursuance of this regulation.

(5) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed the Board shall -

(a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid up shares or debentures, if any; and

(b) generally do all acts and things required to give effect thereto.

(6) The Board shall have full power:-

(a) To make such provision, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the care of shares or debentures becoming distributable in fractions; and also

(b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the Company providing for allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, or (as the case may require) for the payment by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares.

(7) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such members.

[1]**97-A. Budget :-** The revenue budget shall be submitted for approval of the Government in case there is an element of deficit which is proposed to be met by obtaining funds from the Government.

98 Dividends :- The profits of the Company available for payment of dividends subject to any special rights relating thereto created or authorised to be created by these presents and subject to Section 93 of the Act and subject to the provisions of these presents as to the reserve funds shall, with the approval of the President, be divisible among the members in proportion to the amount of capital held by them respectively.

99 Capital paid up in advance :- Where capital is paid up on any shares in advance of calls upon the footing that the same shall carry interest, such capital shall not, whilst carrying interest, confer a right to participate in profits.

100. Declaration of dividends :- The Company in general meeting may declare dividend to be paid to the members according to their rights and interests in the capital, and may fix the time for payment, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.

---

1. Special Resolution passed on 30.12.60 and 27.4.1970

(ग) अंशतः उप खंड (क) और अंशतः उप-खंड (ख) में बताए अनुसार।

(3) इस विनियम के प्रयोजन से शेयर प्रीमियम लेखा और पूँजी प्रतिदान आरक्षित निधि का उपयोग केवल जारी न किए गए शेयरों को कंपनी के सदस्यों के मध्य पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में जारी करने के लिए चुकता करने में किया जाएगा।

(4) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प को कार्यान्वित करेगा।

(5) जब उक्त प्रकार का कोई संकल्प पारित किया जाएगा तो बोर्ड :-

(क) पूँजीकरण के लिए प्रस्तावित अविभाजित लाभों, और पूर्णतः प्रदत्त शेयरों और डिबेंचरों के सभी आबंटनों और निर्गमों, यदि कोई हो, का सभी प्रकार से विनियोजन करेगा और उपयोग करेगा; और

(ख) इसके कार्यान्वयन के लिए सामान्यतः अपेक्षित सभी कार्य करेगा।

(6)(क) अंशों में वितरणीय हो जाने पर शेयरों अथवा डिबेंचरों की, भिन्नात्मक प्रमाण-पत्र जारी करके अथवा नकद भुगतान करके या अन्यथा, जैसे वे उचित समझे व्यवस्था के लिए उपबंध बनाने; तथा

(ख) ऐसे पूँजीकरण से और अधिक शेयरों या डिबेंचरों के हकदार हुए सभी सदस्यों के मध्य क्रमशः उक्त पूर्णतः प्रदत्त शेयरों या डिबेंचरों के आबंटन के लिए अथवा (मामले में जैसा अपेक्षित हो) उनके वर्तमान शेयरों पर अवशिष्ट अदत्त राशि या उसके किसी भाग का कंपनी द्वारा उनकी ओर से पूँजीकरण के लिए प्रस्तावित लाभ में से उनके अपने-अपने अनुपातों के उपयोग के माध्यम से भुगतान के लिए हकदार सभी सदस्यों की ओर से किसी व्यक्ति को कंपनी के साथ करार करने के लिए प्राधिकृत करने की पूरी शक्ति बोर्ड को प्राप्त होगी।

(7) ऐसे प्राधिकार के अंतर्गत किया गया करार सभी सदस्यों पर लागू और बाध्यकारी होगा।

[1]**97 (क) बजट :-** राजस्व बजट को सरकार के अनुमोदन के लिए उस मामले में प्रस्तुत किया जाएगा जब उसमें घाटे की गुंजाइश हो और जिसकी पूर्ति सरकार से प्राप्त निधि से की जानी है।

98. लाभांश :- लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभ, उसके संबंध में इन विलेखों द्वारा बनाए गए या बनाने के लिए प्राधिकृत किए गए किन्ही विशेष अधिकारों के अंतर्गत और अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत और आरक्षित निधि पर प्रयोज्य इन विलेखों के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुमोदन से सदस्यों में उनके द्वारा धारण की गई पूँजी की राशि के अनुपात से क्रमशः विभाज्य होंगे।

99. पूँजी का अग्रिम भुगतान :- जब किन्हीं शेयरों के संबंध में मांग किए जाने से पहले पूँजी का भुगतान इस आधार पर हो जाता है कि उस पर ब्याज दिया जाएगा तो जिस अवधि का ब्याज देय होगा, उस अवधि के लिए ऐसी पूँजी से लाभ का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

100. लाभांश की घोषणा :- कंपनी साधारण बैठक में सदस्यों को पूँजी में उनके अधिकारों और लाभ के अनुसार दिए जाने वाले लाभांश की घोषणा कर सकती है और भुगतान का समय निश्चित कर सकती है, परन्तु लाभांश निदेशकों द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक नहीं होगा।

---

1. तारीख 30.12.1960 और 27.04.1970 को पारित विशेष संकल्प

101. **Dividend out of profits only and not to carry interest :-** No dividend shall be payable otherwise than out of the profits of the year or other period or any other undistributed profits of the Company and no dividend shall carry interest as against the Company.

102. **When to be deemed net profits :-** The declaration of the Directors as to the amount of the net profits of the Company shall be conclusive.

103. **Interim dividend :-** The Directors may from time to time pay to the members such interim dividends as in their judgement the position of the Company justifies.

104. **Debts may be deducted :-** The Directors may retain any dividends on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards satisfaction of the debts, labilities or engagements in respect of which the lien exists.

105. **Dividend and call together :-** Any general meeting declaring a dividend may make a call on the members of such amount as the meeting fixes, but the call on each member shall not exceed the dividends payable to him and if the call be made at the same time as the declaration of the dividend, the dividend may, if so arranged between the Company and the members, be set off against the call. The making of a call under this clause shall be deemed ordinary business of an ordinary general meeting which declares a dividend.

106. **Dividends or bonus payable wholly or partly in specific assets :-** Any general meeting declaring a dividend may resolve that such dividend be paid wholly or in part by the distribution of specific assets, and in particular of paid-up shares, debenture or debenture stock of the Company, or paid up shares, debenture of debenture stock of any other Company, or in any, one or more of such ways. Any general meeting may resolve that any moneys-investments, or other assets forming part of the undivided profits of the Company standing to the credit of the reserve fund, or in the hands of the Company, and available for dividend or representing premia received on the issue of shares, and standing to the credit of the share premium account be capitalised, and distributed amongst the shareholders in accordance with their rights in the footing that they become entitled thereto as capital, and that all or any part of such capitalised fund be applied on behalf of the shareholders in paying up in full any unissued shares of the Company and that such unissued shares so fully paid be distributed accordingly amongst the shareholders in the proportion in which they are entitled to receive dividends, and shall be accepted by them in full satisfaction of their interest in the said capitalised sum. For the purpose of giving effect to any resolution under this Article, the Directors may settle any difficulty which may arise in regard to the distribution as they think expedient and in particular, may issue fractional certificates, and may fix the value for distribution of any specific assets and may determine that cash payment shall be made to any members upon the footing of the value so fixed or that fractions of less than Re.1 may be disregarded in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such cases of specific assets in trustees upon such trusts for the persons entitled to the dividend or capitalised fund as may seem expedient to the Directors. Where requisite, a proper contract shall be filled in accordance with Section 75 of the Companies Act, and the Directors may appoint any person to sign such contract on behalf of the person entitled to the dividend or capitalised fund and such appointment shall be effective. .

107. **Effect of transfer :** A transfer of shares shall not pass the right to any dividend declared thereon after such transfer and before the registration of the transfer.

101. **लाभांश केवल लाभ से दिया जाएगा और उस पर ब्याज देय नहीं होगा :-** लाभांश केवल कंपनी के वार्षिक या अन्य अवधि के लाभ या अन्य किसी अवितरित लाभ में से देय होगा और कंपनी द्वारा किसी लाभांश पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

102. **निवल लाभ कब माना जाए :-** कंपनी के निवल लाभ की राशि संबंधी निदेशकों की घोषणा निर्णायक होगी।

103. **अंतरिम लाभांश :-** निदेशक समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम् लाभांश दे सकते हैं जैसे कि वे अपने निर्णयानुसार कंपनी की स्थिति को देखते हुए उचित समझें।

104. **ऋण काटे जा सकते हैं :-** निदेशक ऐसे किसी लाभांश को रोक सकते हैं, जिस पर कंपनी का पुनर्ग्रहणाधिकार हो और उसका उन ऋणों, देयता अथवा विनियोजन के चुकता करने में उपयोग कर सकते हैं, जिसके संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार विद्यमान है।

105. **लाभांश की देयता और देय राशि की मांग एक साथ होना :-** लाभांश की घोषणा करने वाली साधारण बैठक में सदस्यों से बैठक द्वारा निर्धारित पूँजीगत राशि की मांग की जा सकती है परन्तु प्रत्येक सदस्य से मांगी जाने वाली राशि उसे देय लाभांश की राशि से अधिक नहीं होगी। यदि मांगी गई राशि उसी समय देय हो, जिस समय लाभांश की घोषणा की जाती है, और यदि कंपनी और सदस्यों के बीच व्यवस्था हो जाए तो लाभांश की, मांगी गई राशि से समायोजन किया जा सकता है। इस खंड के अंतर्गत की जाने वाली पूँजीगत राशि की मांग उस सामान्य साधारण बैठक का सामान्य कार्य समझी जाएगी जिसमें लाभांश की घोषणा की जाती है।

106. **विशिष्ट परिसंपत्तियों के रूप में पूर्णतः या अंशतः देय लाभांश अथवा बोनस :-** किसी लाभांश की घोषणा करने वाली किसी साधारण बैठक में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ऐसे लाभांश का भुगतान, विशिष्ट परिसंपत्ति के वितरण के माध्यम से, कंपनी के प्रदत्त शेयर, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक के रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के प्रदत्त शेयर डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक के रूप में अथवा किसी एक या एकाधिक ऐसे ही किसी तरीके से किया जा सकता है। किसी साधारण बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है कि किसी धन-निवेश, या परिसंपत्ति को पूँजी में परिवर्तित किया जाए जो कंपनी के अवितरित लाभ का निर्माण करता हो और आरक्षित निधि में जमा के रूप में या कंपनी के पास हो और लाभांश के लिए उपलब्ध हो अथवा जो शेयर जारी करने पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो और शेयर प्रीमियम लेखा में जमा हो और इसे शेयर धारकों को उनके अधिकारों के अनुसार इस आधार पर वितरित किया जाए कि वे इस पूँजी को पाने के लिए पात्र हैं, और यह कि ऐसी पूँजीकृत निधि के सभी या किसी अंश को शेयरधारकों की ओर से कंपनी के जारी न किए गए किन्हीं शेयरों को पूर्णरूप से भुगतान के लिए किया जाए और यह कि इस प्रकार पूर्णतः प्रदत्त जारी न किए गए शेयरों को शेयरधारकों के मध्य लाभांश पाने की उनकी पात्रता के अनुपात में वितरित किया जाए, और शेयर-धारक इसे, इस तरह स्वीकार करेंगे जैसे कि उक्त पूँजीकृत राशि पर मिलने वाला ब्याज इसके जरिए पूर्ण रूप से चुकता हो गया है। इस अंतर्नियम के अंतर्गत किसी संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए निदेशक वितरण के संबध में उठने वाली किसी समस्या का समाधान यथोचित ढंग से कर सकते हैं और विशेष रूपसे भिन्नात्मक प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं, और किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के वितरण के लिए मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और इस प्रकार निर्धारित मूल्य के आधार पर किन्हीं सदस्यों को नकद भुगतान करने का निर्णय ले सकते हैं अथवा सभी पार्टियों के अधिकारों के समायोजन के लिए एक रूपए से कम के भिन्न को अमान्य कर सकते हैं; और लाभांश अथवा पूँजीकृत निधि के पात्र व्यक्तियों से संबंधित न्यास के न्यासियों को विशिष्ट परिसंपत्तियों के ऐसे किसी मामले को सुपुर्द कर सकते हैं जैसे कि निदेशक को उचित लगे। जहाँ आवश्यक हो वहां कंपनी अधिनियम की धारा 75 के अनुसार उचित संविदा तैयार की जाएगी और निदेशक लाभांश या पूंजीकृत निधि के पात्र व्यक्ति की ओर से ऐसी संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं और ऐसी नियुक्ति प्रभावी होगी।

107. **अंतरण का प्रभाव :-** शेयरों के अंतरण से अंतरण के पश्चात और अंतरण के पंजीयन से पहले उक्त शेयरों पर घोषित किसी लाभांश का अधिकार अंतरित नहीं होगा।

108. **Retention in certain cases :-** the Directors may retain the dividends payable upon shares in respect of which any person is under the transmission clause (Article 35) entitled to become a member or which any person under that clause is entitled to transfer, until such person shall become a member in respect of such shares or shall duly transfer the same.

109. **Dividend to joint holders :-** Any one of the several persons who are registered as the joint-holders of any share, may give effectual receipts for all dividends and payments on accounts of dividend in respect of such shares.

110. **Payment by Post :-** Unless otherwise directed any dividend may be paid by cheque or warrant sent through the post to the registered address of the member or person entitled or in the case of joint-holders to the registered address of that one whose name stands first on the register in respect to the joint holding and every cheque or warrant so sent shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.

111. **Notice of dividend :-** Notice of the declaration of any dividend, whether interim or otherwise, shall be given to the holders of registered shares in the manner hereinafter provided.

112. **Unclaimed dividend :-** All dividends unclaimed for one year after having been declared may be invested or otherwise made use of by the Directors for the benefit of the Company until claimed, and all dividends unclaimed for three years after having been declared may be forfeited by the Directors for the benefit of the Company, and if the Directors think fit, they may be applied in augmentation of the reserve fund.

113. **Accounts to be kept :-** The Company shall cause to be kept proper books of accounts with respect to -

(a) All sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place.

(b) All sales and purchases of goods by the Company.

(c) The assets and liabilities of the Company.

114. **Inspection of Accounts Books :-** The books of accounts shall be kept at the Registered Office of the Company or at such other place as the Directors shall think fit and shall be open to inspection by the Directors during business hours.

115. **Inspection of members :-** The Directors, shall, from time to time, determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts & books of the Company or any of them shall be open to the inspection of members (not being Directors) and no member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by law or authorised by the Directors or by the Company in general meeting.

116. **Annual Accounts and Balance Sheet :-** The Director shall prepare and lay the balance sheet before the Company in accordance with Section 210 of the Act.

117. **Annual Report of Directors :-** The Directors shall make out and attach to every balance sheet a report with respect to the state of the Company's affairs the amount, if any, which they recommend should be paid by way of dividend and the amount,. if any, which they propose to

108. **कुछ मामलों में लाभांश रोकना :-** जिन शेयरों के संबंध में अंतरण खंड (अंतर्नियम 35) के अंतर्गत कोई व्यक्ति सदस्य बनने का हकदार है या जिनके संबंध में उक्त खंड के अंतर्गत कोई व्यक्ति अंतरण करने का हकदार है, निदेशक ऐसे शेयरों पर देय लाभांश को तब तक रोक सकते हैं जब तक कि ऐसा व्यक्ति ऐसे शेयरों के संबंध में सदस्य नहीं बन जाता अथवा विधिवत रूप से ऐसे शेयरों का अंतरण नहीं कर देता।

109. **संयुक्तधारकों को लाभांश :-** किसी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में पंजीकृत कई व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे शेयरों के सभी लाभांशों और लाभांश संबंधी भुगतान के लिए मान्य रसीद दे सकता है।

110. **डाक द्वारा भुगतान :-** जब तक अन्यथा निदेशित न हो, किसी लाभांश के भुगतान का चेक या वारंट, हकदार सदस्य या व्यक्ति के पंजीकृत पते पर या संयुक्त धारकों की स्थिति में उस व्यक्ति के पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा जिसका नाम उन संयुक्त धारकों के संबंध में रजिस्टर में सर्वप्रथम दर्ज है और इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक चेक या वारंट प्राप्तकर्ता के आदेश द्वारा भुगतान योग्य होगा।

111. **लाभांश का नोटिस :-** किसी लाभांश चाहे अंतरिम हो या अन्यथा, की घोषणा का नोटिस इसके आगे उल्लिखित ढंग से शेयरों के पंजीकृत धारकों को दिया जाएगा।

112. **अदावी लाभांश :-** लाभांश घोषित होने के पश्चात यदि एक वर्ष तक उनका दावा न किया गया हो तो उसके दावा किए जाने तक निदेशक कंपनी के लाभ के लिए उसका निवेश कर सकते हैं या अन्यथा उपयोग में ला सकते हैं और घोषित होने के तीन वर्ष बाद अदावी लाभांश कंपनी के लाभ के लिए निदेशक द्वारा जब्त किए जा सकते हैं और यदि निदेशक उचित समझे तो उन्हें आरक्षित निधि को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

113. **लेखे रखना :-** कंपनी निम्नलिखित के संबंध में समुचित लेखा-पुस्तिकाएं रखेगी :-

(क) कंपनी द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सभी राशियाँ और वे मामले जिनके बारे में प्राप्ति या व्यय हुआ है।

(ख) कंपनी द्वारा माल के सभी प्रकार के विक्रय और क्रय।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियाँ और देयताएं।

114. **लेखा-पुस्तिकाओं का निरीक्षण :-** लेखा-पुस्तिकाऐं कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या अन्य ऐसे स्थान पर रखी जाएंगी जहाँ रखा जाना निदेशक उचित समझे और लेखा-पुस्तिकाएँ कारोबार के समय निदेशकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

115. **सदस्यों द्वारा निरीक्षण :-** समय-समय पर निदेशक यह निश्चित करेंगे कि क्या और किस सीमा तक और किस समय और कहां और किन शर्तों और विनियमों के अंतर्गत कंपनी के लेखा या बही अथवा उनमें से कोई, सदस्यों (निदेशक के तौर पर नहीं) के निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएंगी और किसी सदस्य (निदेशक के तौर पर नहीं) को कंपनी का लेखा या बही या दस्तावेज देखने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे विधि द्वारा या निदेशक द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण बैठक में यह प्राधिकार न दिया गया हो।

116. **वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र :-** निदेशक अधिनियम की धारा 210 के अनुसार तुलन-पत्र तैयार करेंगे और कंपनी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।

117. **निदेशकों की वार्षिक रिपोर्ट :-** निदेशक कंपनी के मामलों की स्थिति, उनके द्वारा सिफारिश किए गए लाभांश के रूप में देय राशि, यदि कोई हो, और उनके द्वारा प्रस्तावित विशेषतः तुलन-पत्र में दिखाई गई आरक्षित निधि, साधारण आरक्षित या आरक्षित लेखे अथवा बाद के तुलन-पत्र में दिखाई जाने वाली आरक्षित निधि, साधारण आरक्षित या आरक्षित लेखे की राशि,

carry to the Reserve Fund, General Reserve or Reserve Account shown specifically on the balance sheet or to a Reserve Fund, General Reserve or Reserve Account to be shown specifically in a subsequent balance sheet. The report shall be signed by the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Directors if authorised in that behalf by the Directors .

118. **Contents of Profits and Loss Accounts :-** the profit and loss account shall in addition to the matters referred to in Section 211 of the Act, show, arranged under the most convenient heads, the amount of gross income distinguishing the several sources from which it has been derived and the amount of gross expenditure, distinguishing the expenses of the establishment, salaries and other like matters. Every item of expenditure fairly chargeable against the year's income shall be brought into account, so that a just balance of profit and loss may be laid before the meeting, and in cases where any item of expenditure which may in fairness be distributed over several years has been incurred in any one year, the whole amount of such items shall be stated, with the addition of the reasons why only a portion of such expenditure is charged against the income of the year.

119. **Balance Sheet and Profit and Loss Account to be sent to members:-** The Company shall send a copy of such balance sheet (including profit and loss account, the auditors' report and every other document required by law to be annexed or appended to the balance sheet) to the registered address of every member of the Company in the manner in which notices are to be given hereunder and shall deposit a copy at the Registered Office of the Company for inspection of members of Company during a period of at least four days before that meeting.

120. **Directors to comply with ceratin Sections of the Act :-** The Directors shall in all respects comply with the provisions of Sections 210, 211, 216, 217 and 219 of the Companies Act, 1956 or any statutory modification thereof for the time being in force.

121. **Auditors' right to attend meetings:-** The auditors of the Company shall be entitled to receive notice of and to attend any general meeting of the Company at which any accounts which have been examined or reported on by them are to be laid before the Company and May make any statement or explanation, they desire with respect to the accounts.

122. **Accounts to be audited annually :-** Once at least in every year the accounts of the Company shall be examined and the correctness of the profit and loss account and balance sheet ascertained by one or more auditors.

123. **Appointment of Auditors :-** In regard to the appointment of Auditors the provisions contained in Section 619 of the Act shall apply.

124. **Power of the Comptroller and Auditor General :-** The Comptroller and Auditor General of India shall have power :-

(a) to direct the manner in which the Company's accounts shall be audited by the auditor/ auditors appointed in pursuance of Article 123 hereof and to give such auditor/auditors instructions in regard to any matter relating to the performance of his/their function as such.

(b) to conduct a supplementary or test audit of the Company's accounts by such person or persons as he may authorise in this behalf; and for the purposes of such audit, to have access, at all reasonable times, to all Accounts, Account Books, Vouchers, Documents and other papers of the Company and to require information or additional information to

यदि कोई हो, के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रत्येक तुलन-पत्र के साथ संलग्न करेंगे। निदेशकों की ओर से निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे, यदि निदेशकों द्वारा इस संबंध में अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है।

118. **लाभ-हानि लेखे के विषय :-** अधिनियम की धारा 211 में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त लाभ-हानि लेखे में अत्यधिक सुविधाजनक शीर्षो के अंतर्गत व्यवस्थित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को श्रेणी-बद्ध करते हुए कुल आय की राशि और स्थापना, वेतन और अन्य मामलों पर किए गए व्यय को श्रेणी-बद्ध करते हुए कुल व्यय की राशि दर्शाई जाएगी। वर्ष की आय में से समुचित रूप से प्रभार्य व्यय की प्रत्येक मद लेखे में शामिल की जानी चाहिए, ताकि बैठक मे लाभ-हानि का सही शेष प्रस्तुत किया जा सके, और ऐसे मामलों में जहाँ किसी एक वर्ष में किसी मद पर किए गए व्यय उचित कारणों से कई वर्षो में बाँट दिया गया हो तो ऐसी मद की कुल राशि का उल्लेख यह कारण बताते हुए किया जाना चाहिए कि ऐसे व्यय का केवल एक भाग ही क्यों उस वर्ष की आय में प्रभारित किया गया है।

119. **तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा सदस्यों को भेजा जाए :-** कंपनी ऐसा तुलन-पत्र (लाभ-हानि लेखा, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक अन्य दस्तावेज तुलन-पत्र के साथ संलग्न या नत्थी किया जाएगा) कंपनी के प्रत्येक सदस्य के पंजीकृत पते पर उस रीति से भेजेगी जिस रीति से आगे नोटिस भेजे जाने हैं और उसकी एक प्रति कंपनी के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उस बैठक से पूर्व कम से कम चार दिन तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखेगी।

120. **निदेशकों द्वारा अधिनियम की कुछ धाराओं का अनुपालन :-** निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210, 211, 216, 217, और 219 के उपबंधों अथवा इन पर तत्समय लागू किसी सांविधिक आशोधन का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे।

121. **बैठकों में उपस्थित होने का लेखा-परीक्षकों का अधिकार :-** कंपनी के लेखा परीक्षक कंपनी की किसी साधारण बैठक का नोटिस प्राप्त करने और उसमें उपस्थित होने के हकदार होंगे जिसमें कंपनी के सामने उनके द्वारा जाँच किए गए, सूचित किए गए लेखों को प्रस्तुत किया जाना है और वे लेखों के संबंध में अपनी इच्छानुसार विवरण या स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

122. **लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा :-** कंपनी के लेखों की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार जाँच होनी चाहिए तथा लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र की यथा-तथ्यता का एक या एकाधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अधिनिर्धारण किया जाना चाहिए।

123. **लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति :-** लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 619 के उपबंध लागू होंगे।

124. **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ :-** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित शक्ति प्राप्त होगी :-

(क) अंतर्नियम 123 के अनुसरण में नियुक्त लेखा-परीक्षक/लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के लेखों की लेखा-परीक्षा की पद्धति के संबंध में निदेश देने और ऐसे लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकों को उसके/उनके कार्यो के निष्पादन से संबंधित किसी मामले में अनुदेश देना।

(ख) उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा कंपनी के लेखों की अनुपूरक या नमूना लेखा-परीक्षा करवाना और ऐसी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का सभी समुचित समयों पर, कंपनी के सभी लेखों, लेखा पुस्तकों, वाउचरों, दस्तावेजों और अन्य कागजात उपलब्ध करवाने और ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी रूप में

be furnished to any person or persons so authorised, on such matters, by such person or persons and in such form, as the Comptroller and Auditor General may, by general or special order direct.

125. **Comments upon or supplement to audit report by the Comptroller and Auditor General to be placed before Ordinary Meetings :-** The auditor/auditors aforesaid shall submit a copy of his/their audit report to the Comptroller and Auditor General of India who shall have the right to comment upon or supplement the audit report in such manner as he may think fit. Any such comments upon or supplement to the audit report shall be placed before the ordinary meeting of the Company at the same time and in the same manner as the audit report.

126. **When accounts to be deemed finally settled:-** Every account of the Directors, when audited and approved by general meeting, shall be conclusive except as regards any error discovered therein within three months next after the approval thereof. Whenever any such error is discovered within the period, the account shall forthwith be corrected and thenceforth shall be conclusive.

[1]127. **Right of the President :-** Notwithstanding anything contained in any of these Articles, the President may, from time to time, issue such directives as he may consider necessary in regard to the conduct of the affairs of the Company or Directors thereof and matters involving National Security of substantial public interests and in like manner may vary and annual any such directive. The Directors shall give immediate effect to the directives so issued.

[2]127-A. **Rights of the President to call for returns, accounts etc. :-** The President shall have the right to call for such returns, accounts and other information with respect to the property and activities of the Corporation as may be required from time to time.

[3]127-B. **Rights of the President to secure the largest degree of decentralisation :-** The President shall have the right to secure the largest degree of decentralisation consistent with the proper discharge by the Corporation of their duties and functions.

[4]127-C. **Provided that all directives issued by the President shall be in writing addressed to the Chairman :-** The Board shall, except where the President considers that the interest of the National Security requires otherwise, incorporate the contents of directives issued by the President in the Annual Report of the Company and also indicate its impact on the financial position of the Company.

128. **How notices to be served on members:-** A notice may be given by the Company to any member either personally or by sending it by post to him to his registered address, or (if he has no registered address) to the address, if any, supplied by him to the Company for the giving of notice to him.

129. **Notification of address by a holder of shares having no registered place of address :-** A holder of registered shares, who has no registered place of address, may, from to time to time, notify in writing to the Company an address, which shall be deemed his registered place of address, within the meaning of the last preceding Article.

---

1. Special Resoution passed on 24.3.1969 and 24.4.1970
2. Special Resoution passed on 24.3.1969.
3. Special Resoution passed on 24.3.1969.
4. Special Resoution passed on 30.12.1988.

अपेक्षित जानकारी या अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए निदेश दे सकते हैं।

125. **सामान्य बैठकों में रखी जाने वाली लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट :-** लेखा-परीक्षक अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को प्रस्तुत करेगा/करेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर अपने विवेकानुसार टिप्पणी करने या अनुपूरक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होगा। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर की जाने वाली ऐसी कोई भी टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट उसी समय और उसी ढंग से कंपनी की सामान्य बैठक में प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

126. **लेखों का अंतिम रूप से निपटान कब समझा जाए :-** निदेशक के प्रत्येक लेखे को लेखा-परीक्षित और साधारण बैठक द्वारा अनुमोदित होने पर निर्णायक समझा जाएगा बशर्ते कि अनुमोदन के बाद तीन महीने के भीतर लेखे में कोई त्रुटि न मिले। यदि इस अवधि में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे तत्काल सुधारा जाएगा और उसके बाद ही लेखा निर्णायक होगा।

[1]127. **राष्ट्रपति का अधिकार :-** इन अंतर्नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी कार्य के संचालन के संबंध में या कंपनी के निदेशकों को और राष्ट्रीय सुरक्षा या स्थायी जनहित के मामले में यथावश्यक निदेश दे सकते हैं और उसी ढंग से ऐसे किसी निदेश को परिवर्तित और रद्द कर सकते हैं। निदेशक इस प्रकार जारी किए गए निदेशों को तत्काल कार्यान्वित करेंगे।

[2](क) **विवरणियां, लेखे आदि मांगने का राष्ट्रपति का अधिकार :-** राष्ट्रपति को निगम की संपत्ति और कार्य-कलापों के संबंध में समय-समय पर अपेक्षित विवरणियां, लेखे और अन्य सूचना मांगने का अधिकार होगा।

[3](ख) **अधिकतम विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करने का राष्ट्रपति का अधिकार :-** राष्ट्रपति को निगम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्त्तव्यों और कार्यों के साथ सामंजस्य रखकर अधिकतम विकेन्द्रीकरण का अधिकार होगा।

[4](ग) **किन्तु राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए सभी निदेश लिखित रूप में और अध्यक्ष के नाम से होंगे :-** बोर्ड राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निदेशों की विषय-वस्तु को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा, बशर्ते राष्ट्रपति के विचार में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना अनुचित न हो और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का भी उल्लेख करेगा।

128. **सदस्यों को नोटिस कैसे दिए जाएं :-** कंपनी द्वारा किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जा सकता है या उसके पंजीकृत पते पर डाक से भेजा जा सकता है या (यदि उसका कोई पंजीकृत पता न हो) नोटिस भेजने के लिए उसके द्वारा कंपनी को दिए गए पते पर, यदि कोई हो तो, भेजा जा सकता है।

129. **पंजीकृत पते न रखने वाले शेयर-धारकों द्वारा पते की सूचना :-** यदि पंजीकृत शेयरों के धारक का कोई पंजीकृत पता न हो, तो उसे समय-समय पर कंपनी को अपने पते की लिखित सूचना देनी चाहिए। पूर्ववर्ती अंतर्नियम के आशय के अनुसार इस प्रकार सूचित किए गए पते को उसका पंजीकृत पता माना जाएगा।

---

1. तारीख 24.03.1969 और 24.04.1970 को पारित विशेष संकल्प
2. तारीख 24.03.1969 को पारित विशेष संकल्प
3. तारीख 24.03.1969 को पारित विशेष संकल्प
4. तारीख 30.12.1988 को पारित विशेष संकल्प

130. **When notice may be given by Advertisement :-** If a member has no registered address and has not supplied to the Company an address for giving of notices to him, a notice addressed to him, and advertised in a newspaper circulating in the neighbourhood of the Registered Office of the Company, shall be deemed to be duly given to him on the day on which the advertisement appears.

131. **Notice to joint-holders :** A notice may be given by the Company to the joint-holders named first in the register in respect of the share.

132. **How notice to be given to respresentives of a deceased or bankrupt member :-** A notice may be given by the Company to the person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a memebr by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignee of the insolvent or by any like description, at the address (if any) suppled for the purpose by the persons caliming to be so entitled or (until such an address has been so supplied) by giving notice in any manner in which the same might have been given if the death or insolvency had not occured.

133. **To whom notice of general meeting to be given :-** Notice of every general meeting shall be given in same manner hereinbefore authorised to (a) every member of the Company, except those members who having registered address have not supplied to the Company an address for giving of notice to them and also to (b) every person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member who, but for his death or insolvency, would be entitled to receive notice of the meeting, provided the same is within the knowledge of the Company.

134. **Transferees etc. bound by prior notice :-** Every person who, by operation of law, transfer or other means, whatsoever, shall become entitled to any share shall be bound by every notice in respect of such share which previously to his name and address and title to the share being notified to the Company, shall have been duly given to the persons from whom he derives his title to such shares.

135. **How notice to be signed :-** The signature to any notice to be given by the Company may be written or printed.

136. **How time to be counted :-** Where a given number of days notice or notices extending over any other period is required to be given, the day of service shal unless it is otherwise provided, be counted is such number of days of other period.

137. **Distribution of assets on winding up :-** If the Company shall be wound up and the assets avilable for distribution among the members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid-up capital, such assets shall be distributed so that as nearly as may be losses shall be borne by the members in proportion to the capital paid up, or which ought to have been paid up, at the commencement of the winding up, the shares held by them respectively. And if in a winding up, the assets available for distribution among the Member shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid up at the commencement of the winding up, the excess shall be distributed amongst the members in proportion to the capital at the commencement of the winding up, paid up or which ought to have been paid upon the shares held by them respectively. But this clause is to be without prejudice to the rights of the holders of shares issued upon special terms and conditions.

130. **विज्ञापन द्वारा नोटिस कब दिया जाएं :-** यदि किसी सदस्य का पंजीकृत पता न हो और नोटिस देने के लिए उसने कंपनी को कोई पता नहीं दिया हो तो उसके नाम से और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवेश में परिचालित समाचार-पत्र में दिए गए नोटिस का विज्ञापन उसके छपने के दिन, उसे समुचित रूप से दिया गया नोटिस समझा जाएगा।

131. **संयुक्त धारकों को नोटिस :-** किसी शेयर के संयुक्त धारकों में से कंपनी द्वारा उस संयुक्त धारक को नोटिस दिया जाएगा जिसका नाम उस शेयर के संबंध में रजिस्टर में सब से पहले दर्ज होगा।

132. **मृत या दिवालिये सदस्य के प्रतिनिधियों को नोटिस कैसे दिया जाए :-** किसी सदस्य की मृत्यु होने या उसके दिवालिया होने के परिणामस्वरूप, कंपनी शेयर के हकदार व्यक्तियों को पूर्वदत्त पत्र द्वारा डाक से उसके नाम पर अथवा मृत सदस्य के हकदार प्रतिनिधियों को अथवा दिवालिया सदस्य के समनुदेशिती को अथवा इसी प्रकार के किसी व्यक्ति को हकदार व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन से दिए गए पते पर (यदि कोई हो) अथवा (जब तक इस प्रकार का पता न दिया गया हो) उसी रीति से नोटिस दे सकती है जिस रीति से मृत्यु या दिवालिया न होने की स्थिति में दिया जाता है।

133. **साधारण बैठक का नोटिस किसे दिया जाए :-** प्रत्येक साधारण बैठक का नोटिस इससे पूर्व अधिकृत रीति से निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया जाएगा -(क) जिन व्यक्तियों का कोई पंजीकृत पता नहीं है और जिन्होंने नोटिस दिए जाने के लिए कंपनी को कोई पता नहीं दिया है उन्हें छोड़कर कंपनी के प्रत्येक सदस्य को, और (ख) कोई सदस्य, जो मृत या दिवालिया न होने पर बैठक का नोटिस प्राप्त करने का हकदार होता तो उसकी मृत्यु होने या उसके दिवालिया होने के परिणामस्वरूप शेयर के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को, बशर्ते कि कंपनी को उसकी जानकारी हो।

134. **हस्तांतरी इत्यादि पर पूर्व नोटिस प्रभावी होंगे :-** प्रत्येक व्यक्ति जो विधि के लागू होने, अंतरण अथवा अन्य माध्यम, जो भी हो, द्वारा किसी शेयर का हकदार बनता है। ऐसे शेयर के संबंध में उसका नाम और पता और शेयर का हक इस कंपनी को अधिसूचित किए जाने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिससे उसे ऐसे शेयर में हक प्राप्त हुआ है, विधिवत रूप से दिए गए नोटिस से आबद्ध होगा।

135. **नोटिस पर हस्ताक्षर कैसे किए जाएँ :-** कंपनी द्वारा दिए जाने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या हस्ताक्षर मुद्रित किए जा सकते हैं।

136. **समय की गणना कैसे की जाए :-** जब निश्चित दिनों की अवधि वाले किसी नोटिस की अवधि बढ़ाई जानी हो तो नोटिस देने के दिन को यदि अन्यथा व्यवस्था न की गई हो तो, बढ़ाई गई अवधि के दिनों में गिना जाएगा।

137. **कंपनी के समापन पर परिसंपत्ति का वितरण :-** यदि कंपनी का समापन किया जाता है और सदस्यों में वितरण के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति उसी रूप में समस्त प्रदत्त पूंजी की वापसी के लिए अपर्याप्त होती है तो ऐसी परिसंपति को इस प्रकार वितरित किया जाएगा कि लगभग जितनी हानि हो वह सदस्यों द्वारा धारण किए गए शेयरों पर क्रमशः प्रदत्तपूँजी या जो पूँजी समापन तक दे दी जानी चाहिए थी, उसके अनुपात में वहन की जाएगी। और यदि, समापन के समय सदस्यों में वितरण के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति समस्त प्रदत्त पूँजी की वापसी के लिए पर्याप्त से अधिक होगी तो अधिक परिसंपत्ति को, सदस्यों द्वारा धारण किए गए शेयरों पर क्रमशः प्रदत्त पूँजी या जो पूँजी समापन तक दे दी जानी चाहिए थी, उसके अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। किंतु विशेष निबंधन और शर्तों के अंतर्गत जारी किए गए शेयरधारकों के अधिकारों पर इस खंड का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

138. **Secrecy clause :-** No member shall be entitled to require discovery of or any information respecting any detail of the Company's trading or any matter which may be in the nature of a trade secret, mystery of trade or secret process which may relate to the conduct of the business of the Company and which in the opinion of the Directors it will be inexpedient in the interest of the members of the Company to communicate to the public.

139. **Indemnity :-** Subject to the provisions of the Act, every Director, Manager and other officer or servant of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the Directors to pay out of the funds of the Company all costs, losses, damages and expenses which any such officer or servant may incur or become liable to by reason of any contract entered into or act or thing done by him as such Director, Manager or other officer or servant, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses and in paticular and so as not to limit the generality of the foregoing provisions against all liabilities incurred by him as such Director, Manager or other officer or servant in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgement is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under the Act in which relief is granted by the court.

140. **Individual responsibility of Directors:-** Subject to the provisions of the Act no Director, or other officer of the Company shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other Director or officer or for joining in any receipt, or other act for conformity, or for any loss or expenses happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by the order of the Directors for or on behalf of the Company, or for the inufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of Company shall be invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortious act of any perosn with whom any moneys, securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgement or oversight on his part, or for any other loss, damage or misfortune whatever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto, unless the same happens through his own negligence, default, breach of duty or breach of trust.

Name of Subscriber	Address,Description and occupation, if any	No. of shares	Signature of Subscribers	Signature of withnesses and their addresses, description and occupation
1. President of India	[T. Sivasankar], Secretary. Ministry of Irrigation and Power, New Delhi, for and on behalf of the President of India.	1	-	-
2. Kanwar Sain	Chairman, Central Water and Power Commission, New Delhi.	1	-	-
3. S. Venkataraman	Deputy Secretary Ministry of Irrigation and Power.	1	-	-

Dated this.....day of January, 1957

138. **गोपनीयता खंड :-** किसी सदस्य को कंपनी के व्यापार के संबंध में या किसी ऐसे मामलों के संबंध में कोई सूचना मांगने या जानने की अपेक्षा करने का अधिकार नहीं होगा जिनका स्वरूप व्यापारिक गोपनीयता या व्यापारिक रहस्य या गोपनीय प्रक्रिया से है, जिसका संबंध कंपनी के व्यवसाय के संचालन से हो सकता है और जिसे निदेशकों के विचार में जनता को सूचित करना कंपनी के सदस्यों के हित में समीचीन न हो।

139. **क्षतिपूर्ति :-** अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निदेशकों का यह कर्तव्य होगा कि वे कंपनी की निधि में से कंपनी के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी को उसकी ऐसी लागत, हानि, क्षति और व्यय की क्षतिपूर्ति करें जो निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी या कर्मचारी के रूप में किसी संविदा करने या किसी कार्य के दौरान उसके द्वारा किया गया है, और इस क्षतिपूर्ति की राशि में कार्य के दौरान यात्रा-व्यय और विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता को समाप्त किए बिना सभी देयताओं के प्रति उसके द्वारा निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी के रूप में दीवानी या फौजदारी कार्यवाहियों के ऐसे प्रतिवाद के रूप में किया गया व्यय शामिल होगा जिसमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया हो या जिसमें उसे दोषमुक्त करार दिया गया हो या अधिनियम के अंतर्गत किसी आवेदन पत्र के संबंध में न्यायालय द्वारा सहायता की मंजूरी दी गई हो।

140. **निदेशकों का वैयक्तिक उत्तरदायित्व :-** अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कोई निदेशक या कंपनी के अन्य अधिकारी कंपनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्य, प्राप्तियाँ, उपेक्षाओं, व्यतिक्रमों के लिए या किसी प्राप्ति या समनुरूपता के लिए अन्य कार्य में शामिल होने के लिए या निदेशकों के आदेश से कंपनी के लिए या कंपनी की ओर से अर्जित किसी संपत्ति के हक में अपर्याप्तता या कमी के कारण कंपनी को होने वाली किसी हानि या व्यय के लिए अथवा किसी प्रतिभूति में अपर्याप्तता या कमी के लिए जिसमें या जिसके आधार पर कंपनी की कोई धनराशियाँ निवेश की जाएंगी, अथवा किसी व्यक्ति के दिवालियापन या कपट कार्य के कारण होने वाली हानि या क्षति कि लिए जिसके पास धनराशियाँ, प्रतिभूतियाँ या परिसंपत्ति रखी जाएगी अथवा उसकी ओर से निर्णय में भूल या चूक से हुई किसी हानि के लिए, या उसके पद या उससे संबंधित कार्य के निष्पादन से होने वाली किसी हानि, क्षति, अथवा दुर्भाग्य, जो भी हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसा उसकी अपनी उपेक्षा, त्रुटि, कर्तव्यहीनता अथवा विश्वासहीनता के कारण न हुआ हो।

अभिदाता का नाम	पता, विवरण और व्यवसाय, यदि कोई हो	शेयरों की संख्या	अभिदाता के हस्ताक्षर	साक्ष्यों के हस्ताक्षर, उनके पते, विवरण और व्यवसाय
1. भारत के राष्ट्रपति	(टी. शिवशंकर) सचिव सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से)	1	-	-
2. कंवर सेन	अध्यक्ष केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग, नई दिल्ली	1	-	-
3.एस.वेकटरमन	उप सचिव, सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय	1	-	-

तारीख..... जनवरी, 1957